RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

FIFTEENTH ANNUAL REPORT 1986-87

RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

BLOCK DD—34, SECTOR—1
SALT LAKE,
CALCUTTA-700 064

NOVEMBER, 1987

© RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
BLOCK DD-34, SECTOR-1,
SALT LAKE, CALCUTTA-700 064

Published by Dr. B. P. Barua, Director, Raja Rammohun Roy Library Foundation, Block DD-34, Sector-I, Salt Lake, Calcutta-700 064 and printed at PRESSCO, 1/27, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026, Phone : 46-4541.

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

Annual Report 1986-87

CONTENTS

		Pages
Chapter 1	Introduction	1
Chapter 2	Book Assistance	5
Chapter 3	Financial Assistance	11
Chapter 4	Promotional Activities	13
Chapter 5	Administration	16
Chapter 6	Conclusion	20

APPENDICES

I.	Members of the Foundation	25
II.	Members of the Administrative Committee	29
III.	List of Conveners of State Library Planning Committees	31
IV.	Organisation Chart	37
V.	Statement showing the position of assistance during 1986-87	38
VI.	Statement of audited accounts for 1986-87 with Audit Report and comments	40
VII.	Statement of number of libraries assisted at various levels during 1986-87	68
VIII.	Statement of number of libraries assisted from 1972-73 to 1986-87	70
IX.	Chart showing quantum of expenditure under different schemes during 1986-87	72

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

Fifteenth Annual Report
1986 87

CHAPTER 1

INTRODUCTION

Raja Rammohun Roy Library Foundation came into being in 1972 on the auspicious occasion of the bicentennial birth anniversary of Raja Rammohun Roy. Coincidentally, it was also the International Book Year and the Silver Jubilee Year of our Independence. The Foundation is an autonomous organisation, established and sponsored by the Department of Culture, Government of India. It is registered under the West Bengal Societies Registration Act. 1961. The basic idea behind establishing the Foundation is to take the library movement to the far corners of our country, to the doorsteps of the teeming millions of rural India. With the help and active co-operation of the State Governments, Union Territory Administrations and other organisations, the Foundation has come a long way since its inception without losing sight of its goal. It has blazed a trail with 15 years of pioneering activity in the promotion of library services. This 15th annual report gives an overall view of the activities and achievements of the Foundation during 1986-87.

As library service comes under the jurisdiction of State Governments, the Foundation has to function within the limited parameters of constitutional provisions. More-

over, different states have different infrastructure of library services. Naturally, the extent and quality of assistance rendered by the Foundation to the State vary accordingly. Some States which have adopted library legislation viz. Tamil Nadu (1948), Andhra Pradesh (1960), Karnataka (1965), Maharashtra (1967) and West Bengal (1979) have gone far ahead of the others, and have given a new dimension to the library movement. It is pertinent to mention that Assam, Gujarat, Kerala and Pondicherry have made considerable progress in their endeavour to promote library services. It is a matter of great concern that even today public library service is largely under the domain of voluntary private organisations. However, in some parts of our country State Governments have taken initiative to establish and sponsor libraries. The Foundation extends full support to such State initiatives. With its limited resources the Foundation has taken steps to promote all types of public libraries under certain schemes of matching and non-matching assistance.

Besides being an aid-giving body, the Foundation is a national agency for co-ordinating, monitoring and developing the public library services in the country. Obviously, one of the principal objectives of the Foundation is to propagate the idea of enforcing library legislation in the country. The idea behind library legislation is to lay down an efficient administrative structure on legislative footing for effective utilisation of available resources. The ultimate goal is to provide free or easy access to the sources of knowledge for all sections of the community. With this objective Professor D. P. Chattopadhyaya, Chairman of Raja Rammohun Roy Library Foundation has appealed to the Chief Ministers of those States and Union Territories which have not yet adopted a Public Library Act to enact a library legislation on any model suitable for the State or the Union Territory

keeping in view the New Education Policy (1986) and also other pressing social needs.

In view of expanding activities, the Foundation has decided to strengthen its field and monitoring unit during the 7th Plan period. A Zonal Office-cum-Guest House was opened at New Delhi during the year and three more zonal offices are being set up in Bombay, Madras and Calcutta for the western, southern and eastern zone respectively.

It is encouraging to report that at the instance of the Department of Culture, Gevernment of India, the Foundation has started operating a new scheme for financial assistance to voluntary educational institutions/organisations rendering public library services.

One of the most noteworthy features of the year under review is that the Foundation held the 5th State Library Committee Conveners' Conference in New Delhi during 6-7 February 1987. The main theme of the Conference was "Implementation of the Foundation's Programme of Assistance—Problems and Remedies." Shri Y.S. Das, the then Secretary to the Government of India, Department of Culture complemented the Foundation for the initiative taken by it towards the formulation of a National Policy on Library and Information System. An Empowered Committee has since been set up under the Chairmanship of Professor D. P. Chattopadhyaya for assessing the policy document and drawing up an action plan.

The Conference, inter alia, has adopted certain resolutions with a view to stepping up public library services. It has urged the Governments of the States and Union Territories to draw a time-bound programme and make concerted efforts to develop their public library

network down to village level. Besides, the Foundation has also agreed to consider a proposal to make a special study of the library situation of the small States and Union Territories which are backward in this respect and prepare a report with an action plan for strengthening library movement in these areas.

Thus, another glorious year of an all-round activity has been added to the annals of the Foundation generating a spirit of promotional and multi-dimensional activities.

CHAPTER 2

BOOK ASSISTANCE

Books and readers constitute the two basic element of library service. The Foundation, therefore, continued the programme of book assistance to the public libraries to be its main programme during the Seventh Plan period. The assistance is rendered under two schemes viz :

1. Assistance towards building-up of adequate stock of books and other reading and visual materials.

2. Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services.

1. Assistance towards building-up of adequate stock of books and other reading and visual materials :

The quality of a library depends on the size of its collection and the number of readers it serves. A library grows when it augments its stock from time to time. But as availability of funds is not keeping up with the increasing price of books, the libraries are finding it difficult to acquire enough books to cater to the needs of their growing readership. Except in a few States, whatever funds are available from different sources are spent primarily for the maintenance of staff. The Foundation, therefore, continued this major scheme of augmenting the bookstock of libraries.

Assistance under the scheme is given from two sources : matching source and central source. When assistance is

rendered from the matching source, the responsibility for selection, purchase and distribution of books is vested in the State authority ; and when assistance is rendered from the central source, the Foundation is responsible for selection and supply of the books.

MATCHING BOOK ASSISTANCE

The State Library Planning Committee or the State Library Committee set up at the instance of the Foundation in each State and Union Territory prepares proposals for assistance under this major scheme. It prepares the list of books and the list of libraries to which the books are to be sent. For this purpose the Foundation has issued detailed guidelines.

Once lists of books and beneficiary libraries are approved by the State Library Committee, steps are taken to purchase and distribute the books. Some states viz. (1) Andhra Pradesh, (2) Arunachal Pradesh, (3) Assam, (4) Bihar, (5) Gujarat, (6) Himachal Pradesh, (7) Karnataka, (8) Kerala, (9) Manipur, (10) Maharashtra, (11) Mizoram, (12) Orissa, (13) Pondicherry, (14) Punjab, (15) Tamil Nadu, (16) Tripura and (17) Uttar Pradesh continued to assume the responsibility for the purchase and distribution of books. The Foundation, however, has been doing this job for the rest of the States and Union Territories as they are reluctant to do so on the ground that they do not have adequate machinery for placing orders and checking the bills of suppliers. Payment is released by the Foundation on receipt of copies of orders and certified bills from the Conveners of the SLPCs/SLCs in respect of the former group of States. When the Foundation places orders, 75% payment is made to the publishers/suppliers on receipt of proof of despatch and the balance, on receipt of acknowledgement from the recipient libraries. During the year some

of the states like Kerala and Andhra Pradesh became defaulters while some others like West Bengal, Bihar and Tamil Nadu were late in utilising available assistance. Chandigarh became a new participant in the Foundation's assistance programme.

The matching programme of book assistance has been sub-divided into parts keeping in view the organisational pattern of libraries and the level of readership they serve :

(a) Assistance to State Central Libraries and District Libraries and (b) Assistance to Urban and Rural Libraries.

(a) ***Book assistance to the State Central Libraries and District Libraries :***

Almost all the States and Union Territories have set up State Central Libraries. Delhi is served by the Delhi Public Library. The State Central Library of Tamil Nadu i.e., Connemara Public Library and M. S. Town Hall Library of Maharashtra get books under the Delivery of Books Act. There are also Regional Libraries or Divisional Libraries in some States viz. (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Madhya Pradesh, (4) Maharashtra and (5) Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. Some of the State Central Libraries and Regional Libraries also function as District Libraries for the respective districts in which they are located. State Central Libraries and Regional Libraries are usually Government Libraries. However, Sinha Library in Bihar and Maulana Azad Central Library in Madhya Pradesh are notable exceptions. Similarly, some of the District Libraries are government libraries and some are only government aided. During the year the Foundation has given assistance to 27 State Central Libraries and 385 District Libraries.

(b) *Book assistance to urban and rural libraries :*

The organisational pattern of the libraries below the district level is not uniform. They do not always conform to administrative units. Generally speaking, in the south they are called Branch Libraries, in the west and north Taluka or Tehsil Libraries and in the east Sub-Divisional Libraries. Further below we have Block, Municipal, Town and Rural Libraries. Many of these libraries are run by voluntary organisations, registered or unregistered. For the purpose of giving grants, the libraries are sometimes classified into various groups. Since the aim of the Foundation is to extend library service to small towns and villages, great stress has been laid upon assistance to this group of libraries. During the year the Foundation rendered assistance to about **3597** libraries below the district level. Total book assistance under the matching programme amounted to Rs. **68.31** lakhs.

DIRECT BOOK ASSISTANCE

In addition to matching assistance, the Foundation also gives direct book assistance out of its own resources to certain categories of libraries in a limited scale. The beneficiary libraries under this programme are (a) Centrally Sponsored Libraries like Nehru Yuvak Kendras, Jawahar Bal Bhavans etc., and (b) State Central Libraries and District Libraries through Central Selection of books, mainly in English.

(a) *Assistance to Centrally Sponsored Libraries :*

The Ministry of Human Resource Development under its Youth Services Programme has established Nehru Yuvak Kendras in various district headquarters of the country for the welfare of non-student youth between 15 to 35 years of age. Apart from recreational activities

Nehru Yuvak Kendras are also expected to support adult education programmes and to run circulating library services through rural youth clubs The Foundation supports the library services organised by the Kendras. Similarly, the Bal Bhavan Society of India has sponsored Jawahar Bal Bhavans in different parts of the country. The Central Department of Social Welfare also has set up Aurobindo Bal Kendras in big cities for the education of slum-dwelling children. Assistance under the scheme can also be rendered to some reputed voluntary organisations recognised or recommended by the Government of India. During the period the Foundation rendered assistance to **40** Nehru Yuvak Kendras and **19** Bal Bhavans and Bal Kendras.

(b) *Assistance to State Central Libraries and District Libraries directly by the Foundation :*

Apart from the books, mainly in Indian languages, selected by the respective SLPC/SLC for State Central Libraries and District Libraries, the Administrative Committee of the Foundation centrally selects a limited number of books, mainly in English, for distribution to the State and District Libraries in the country. The Administrative Committee of the Foundation has prepared detailed guidelines for selection of titles submitted by various publishers under this scheme. During the year the Foundation selected **154** titles for State Central Libraries, **143** titles for both State Central and District Libraries and **91** titles for **27** State Central and **100** selected District Libraries. The quantum of assistance under this programme amounted to Rs. **20.98** lakhs.

2. **Assistance towards Development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services :**

If the benefits of public library service are to reach the

vast number of the less educated and neo-literate persons in small towns and villages, arrangement should be made to deliver books written in simple language on subjects of popular interest at their doorsteps. All established libraries and reputed voluntary organisations engaged in social welfare activities are encouraged to organise this service. Assistance under the scheme is given in the form of books, cycles, rickshaws, trunks, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one book deposit centre to another with the help of cheap modes of transport or free service of volunteers where library service has not reached a rural area, a book depository centre is to be set up in the village and where library coverage has been extended to a village, door-to-door service is to be organised in co-operation with the voluntary agencies and paid workers engaged in implementing adult education programmes.

Assistance under the scheme is generally given to an institution or a voluntary organisation on a matching basis on the recommendation of the State Government. But the scheme is also operated by many centrally sponsored libraries to which direct assistance is rendered by the Foundation. During the year the Foundation rendered assistance to Visva Bharati University to support their library extension activities in 25 centres. This scheme is meant for disadvantaged sections of the people living in rural and remote areas where it is difficult to establish and maintain regular libraries.

FINANCIAL ASSISTANCE

There are three schemes under which financial assistance is rendered to the libraries :

1. Assistance towards organisation of library workshops, seminars and book exhibitions.
2. Assistance towards storage of books.
3. Assistance to voluntary educational institutions/ organisations running public library services.

1. Assistance towards organisation of Library Workshops, Seminars and Book Exhibitions :

The object of the scheme is to give reorientation training to librarians and to promote the use of books and reading habit among the public. Assistance under the scheme is available to the Library Department/ Directorate of the State, State Central Libraries, Library Associations and Institutions imparting training in Library Science. Assistance under the scheme was rendered to some organisations and institutions on the recommendation of the concerned State Governments. The beneficiaries are : (a) Andhra Pradesh Public Library Association Rs. 10,000/-, (b) Bengal Library Association Rs. 5,000/-, (c) Department of Library and Information Science, University of Kerala Rs. 10,000/-, (d) Uttar Pradesh Library Association Rs. 10,000/- and (e) West Bengal Book Fair Rs. 30,000/-. Total amount of assistance rendered is Rs. 65,000/-.

2. Assistance towars Storage of Books :

This is comparatively a new scheme adopted in 1979-80

to enable small libraries below district level to keep and display increasing number of books received from the Foundation.

Under this scheme financial assistance is given to the libraries for purchasing not more than 2 almirahs/ racks in a year on the recommendation of the State Government. During the year the Foundation sanctioned assistance to 125 libraries in the States of Maharashtra, Mizoram and Orissa.

3. **Assistance to Voluntary Educational Institutions/ Organisations running Public Library Services :**

This is a financial scheme. The scheme was so long operated by the Department of Culture, Government of India. It has since been transferred to the Foundation from the financial year under review. The objective of the scheme is to render financial assistance to voluntary educational institutions working in the field of public libraries for the purchase of books, furniture and equipment.

The Foundation sanctioned grants worth Rs 34.11 lakhs to 142 organisations all over the country during 1986-87 under the scheme.

The scheme under which assistance was given for binding and preservation of rare books, journals and manuscripts was dropped during the 7th Plan period in view of the fact that the Department of Culture adopted an identical scheme (since transferred to the National Archives). But it continued to release some funds under the scheme to honour the previous commitment. During the year the Foundation rendered financial assistance of Rs. 0.17 lakhs to 5 libraries. So far the Foundation has covered 458 libraries and spent Rs. 9.08 lakhs for the purpose.

PROMOTIONAL ACTIVITIES

1. Celebration of the 214th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 14th Foundation Day of RRRLF :

The Foundation celebrated the 214th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 14th anniversary of the Foundation on 24 May, 1986. On this occasion Professor Ravinder Kumar, Director, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi delivered the Foundation Day oration on "Raja Rammohun Roy—an Historical Perspective." Professor D. P. Chattopadhyaya, Chairman of the Foundation, presided.

2. Fifth State Library Committee Conveners' Conference :

The Foundation organised the 5th State Library Committee Conveners' Conference in New Delhi during 6-7 February 1987. The main theme of the Conference was "Implementation of the Foundation's Programme of Assistance—Problems and Remedies." The Conference was attended by 18 delegates representing 16 States and Union Territories.

Dr. B. P. Barua, Director, Raja Rammohun Roy Library Foundation explained the objectives of the Conference. He pointed out that "with the expansion of the Foundation's activities, augmentation of its resources, vesting of additional responsibilities for assistance to libraries

run by voluntary organisations and adoption of new schemes during the Seventh Plan period, the problems and bottlenecks in the implementation of the Foundation's schemes of assistance need closer scrutiny so that proper remedies are found for smooth functioning of the entire programme." Professor D.P. Chattopadhyaya, Chairman, Raja Rammohun Roy Library Foundation stressed the need for implementation of the programmes of development to gain recognition and to catch up.

In addition to the main theme, the Conference also reviewed the status of public library development in different States and Union Territories and discussed the new schemes of the Seventh Plan and collection of Statistics of Library Services in the country. Status reports were presented by the State representatives followed by discussion on the concerned issues.

3. Publication Programme :

The Foundation brings out a quarterly Newsletter to give publicity to its activities and to disseminate information on library services in different parts of the country.

The Directory of Indian Public Libraries edited by Dr. B. P. Barua and published by Naya Prokash, Calcutta was brought out in September 1986. The Directory contains a selected list of libraries assisted by the Foundation together with basic statistics and short description of public library system in each State and Union Territory.

Besides, an agreement has been made with Orient Longman, Calcutta for the publication of the Foundation's Lectures on Raja Rammohun Roy (1st. series) on royalty basis.

4. Operational Charges :

The Administrative Committee has accepted a proposal to grant operational charge, instead of distribution charge, in favour of the States and Union Territories, an amount not exceeding 2% of the net value of total purchase of books, furniture and equipment to meet all contingencies connected with the operation of the schemes of the Foundation including the cost of distribution of books.

5. Institutional Membership :

The Foundation continued to be the institutional member of (1) Indian Library Association (ILA), (2) Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC) and (3) International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

6. Foundation's Library :

The special library on Library and Information Science that started functioning in 1981-82 in the office of the Foundation had a collection of 468 books at the end of the year. It subscribed to 10 journals on Library and Information Science and received complimentary copies of 3 journals.

CHAPTER 5

ADMINISTRATION

1. The Foundation :

The Foundation is composed of 22 members headed by the Minister-in-charge of the Department of Culture, Government of India or his/her nominee as its Chairman. The General Body of the Foundation held a meeting during the year on 24 May 1986 at Calcutta. The Foundation's Annual General Meeting was held on 31 October, 1986 in New Delhi.

2. Administrative Committee :

The Foundation's functioning is managed by an Administrative Committee. It consists of 11 members including the ex-officio members viz. Chairman, Financial Adviser, representative of the Department of Culture and the Member-Secretary. The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It held four meetings during the year on 24 May 1986, 8 August 1986, 31 October 1986 and 9 February 1987.

3. State Library Planning Committees (SLPCs)/State Library Committees (SLCs) :

State Library Planning Committees (SLPCs)/State Library Committees (SLCs) are the principal agencies through which the Foundation collaborates with States and Union Territory Governments. These Committees are expected not only to plan the expansion and development

of library service in their respective States but also to supervise the implementation of various programmes of assistance adopted by the Foundation. These are also expected to serve as co-ordinating bodies of several State Departments engaged in the promotion of library services at various levels. The SLPCs/SLCs are supposed to meet at least twice a year. Functions of the SLPCs/SLCs are :

(a) to prepare a perspective and annual plan of library services, particularly in the non-metropolitan areas of the state with particular reference to the assistance programmes of the Foundation ;

(b) to ensure payment of State Government contribution to and drawal of matching grant from the Foundation;

(c) to scrutinise and recommend proposals for assistance to the Foundation ;

(d) to select books according to the felt-need of the community and in conformity with the guidelines prescribed by the Foundation ;

(e) to ensure proper utilisation of assistance rendered by the Foundation ;

(f) to create an atmosphere for the development of reading habit among the general public by arranging symposia, seminars, exhibitions and other cultural activities ;

(g) to perform any other activity conducive to the development of library movement in the State/Union Territory.

(For the list of Conveners of State Library Planning Committees see Appendix III).

4. **Chairman :**

Professor D. P. Chattopadhyaya continued to be the Chairman of the Foundation during the year.

The staff strength excluding a part-time Sweeper was 27. (For Organisation Chart of the Foundation see Appendix IV).

5. **Director :**

Dr. B. P. Barua continued to be the Director and ex-officio Member-Secretary during the year.

6. **Other Officers and Staff :**

Shri. R. K. Khan continued in the post of Field Officer till 30.6.86. Shri R. Bhattacharjee has been functioning as Field Officer since December 1986. Shri P. Palit Accounts Officer in the office of the Accountant General, West Bengal who joined the Foundation on deputation terms continued as Executive Officer. Sri K. K. Banerjee, Assistant Director (Publicity) Export Inspection Agency, New Delhi joined as Assistant Secretary on deputation terms in December 1986.

7. **Hindi Teaching Scheme :**

The Foundation has taken steps to implement the Official Language Implementation Programme and train up the staff under the Hindi Training Scheme, Government of India in Hindi.

8. **Accommodation :**

The Foundation has newly opened a Guest House at 13B, Greater Kailash Enclave I, New Delh-48. The Northern Zonal Office is located in the Guest House.

9. **Inspection :**

The Foundation has created an Inspection Cell consisting of the Field Officer and one Assistant. They visited some places and inspected some libraries on random sample basis, in addition to other work in the office. During the year about **12** libraries were inspected.

10. **Finance :**

The Foundation is fully financed by the Government of India. During the year the Foundation received grant of Rs. 48.82 lakhs (Rs. 11.89 lakhs under Non-plan and Rs. 36.93 lakhs under Plan) from the Government of India. In addition, the Foundation also receives contribution from the States and Union Territory Governments. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation under its different schemes. The amount of contribution received during the year was Rs. 62.70 lakhs. (For statement showing position of assistance to various States and Union Territories see Appendix V).

11. **Accounts :**

The accounts of the Foundation for 1986-87 have been audited by the Director of Audit (Central), Calcutta and approved by the Foundation in its Annual General Meeting held on 24.10.87. (For statement of audited accounts for 1986-87 see Appendix VI).

CHAPTER 6

CONCLUSION

1. Problems and bottlenecks :

The problems and bottlenecks faced by the Foundation in the execution of its programmes are mainly threefold: (a) late submission and non-submission of proposals for assistance by some states, (b) late finalisation of the 7th Plan programmes, (c) increasing work-load and dearth of staff.

In the existing scheme of things the Foundation has to depend on the State Government machinery for the implementation of its programmes. Its performance reflects the totat performance of the participating States and Union Territories. Sometimes it fails to achieve the target owing to circumstances beyond its control. During the year under report proposals for assistance were received very late from many states.

This is partly due to the late finalisation of the 7th Plan programmes of different States and Union Territories. Though the Foundation indicated the quantum of matching assistance available for each State and Union Territory at the beginning of the financial year, they could finalise their amounts of contribution at the fag end of the year. The uncertainty of the allocation ted to the late preparation of proposals for assistance and execution of the schemes.

The Foundation's work-load has been increasing over the years. A new Scheme of Assistance to Voluntary

Educational Organisations Working in the Field of Public Libraries was transferred to the Foundation by the Department of Culture for operation. Administrative problems of the new building also cropped up during the year. Matters relating to outstanding liabilities and inspection could not be properly attended to for dearth of adequate staff. The ban on the creation of posts continued during the year. But additional allocations were made available to the Foundation under the 7th Plan programme. The Foundation set up a Staff Assessment Committee to examine the problem and to recommend suitable measures. The requirement of Staff was also assessed by the Work Study Team sent by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Their recommendations are expected to be matured in the next financial year.

We are also finding it difficult to obtain timely information from some States regarding libraries receiving book assistance under the matching programme of the Foundation due to decentralisation of the distribution channel through District Library Authorities. Mention may be made of Andhra Pradesh and West Bengal.

2. **Achievements :**

Notwithstanding various administrative and procedural constraints, the Foundation has taken long strides in promoting library services in the country. Since its inception in 1972 till March 1987 the Foundation received total grants and contributions of Rs. 719.16 lakhs out of which Rs. 431.01 lakhs were received from the Government of India and the balance amount of Rs. 288.15 lakhs from the States and Union Territories.

The volume of assistance rendered during the year 1986-87 amount to Rs. 133.35 lakhs and the grant

total of assistance during the last fifteen year is Rs. 605.99 lakhs.

During the year Foundation assisted 4387 libraries excluding the figures of Bihar and West Bengal.

Over the last fifteen years the Foundation has covered libraries at various levels :

State Libraries	28
District Libraries	388
Sub-Division/Taluka/Tehsil Libraries	463
Nehru Yuvak Kendras	173
Town and Rural Libraries	17,331
Mobile Libraries, Rural Book Deposit Centres	880
N. S. S. Centres and others	173
Total :	19,436

(For number of libraries covered at different levels from 1972-73 to 1986-87 see Appendix VIII).

To sum up, the 15th year of the Foundation has been a year of manifold activities and significant achievements. The total amount of grants and contributions received by the Foundation has gone up to a considerable extent. It is, however, noteworthy that the volume of assistance rendered by the Foundation has more than doubled during the year under review. Moreover, one of the important strides that the Foundation has made during the year is the approach to all the Chief Ministers to enforce library legislation in the country. It has also made significant contribution to the expansion and improvement of library services in the country as a whole.

APPENDICES

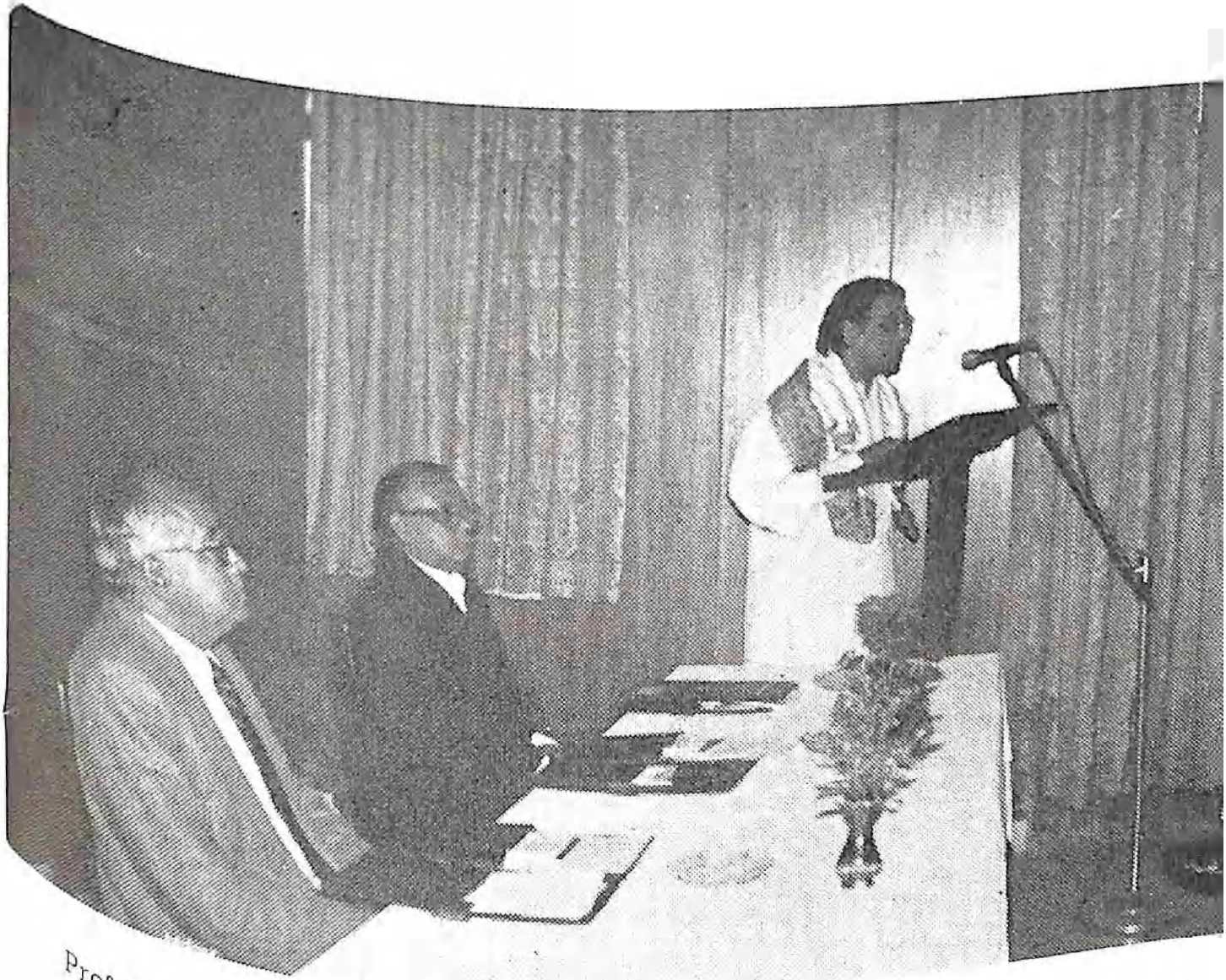

Prof. D. P. Chattopadhyaya, Chairman, Raja Rammohun Roy Library Foudation addressing the august gathering at the 5th State Library Committee Conveners' Conference held at New Delhi.

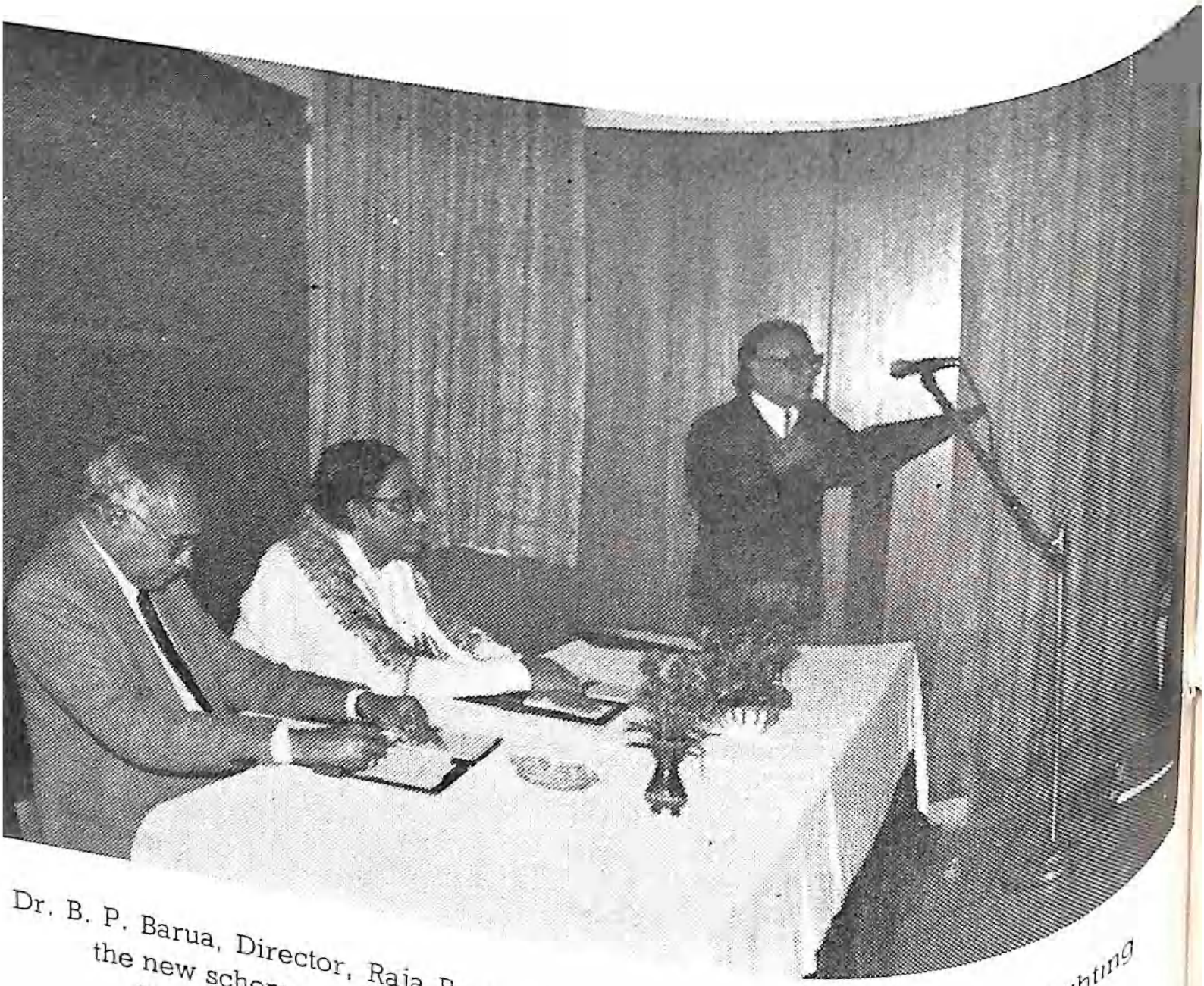

Dr. B. P. Barua, Director, Raja Rammohun Roy Library Foundation highlighting the new schemes and programmes of the Foundation before the State Government representatives at the 5th State Library Committee Conveners' Conference held at New Delhi.

Shri Y. S. Das, the then Secretary to the Government of India, Department of Culture, addressing the august gathering at the 5th State Library Committee Conveners' Conference.

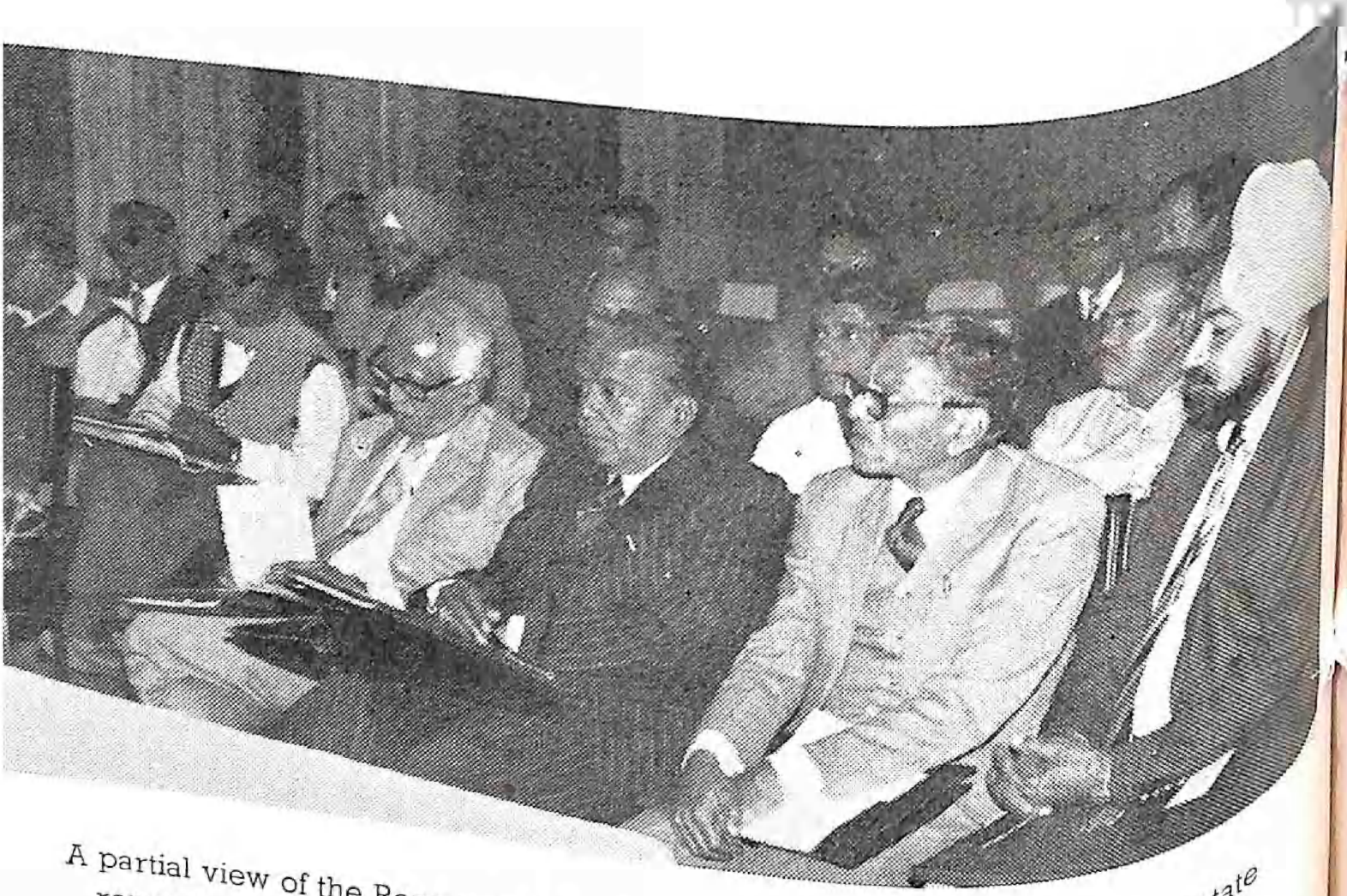

A partial view of the Resource Personnel and other participants including state representatives at the 5th State Library Committee Conveners' Conference

MEMBERS OF THE FOUNDATION

1. Professor D. P Chattopadhyaya
   Chairman
   RRRLF
   25, Park Mansions
   Park Street
   Calcutta 700 016
2. Shri M. Varadarajan
   Secretary to the Govt. of India
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Culture
   Shastri Bhawan
   New Delhi
3. Professor Ashin Dasgupta
   Director
   National Library
   Calcutta
4. Dr. Nemai Sadhan Bose
   Vice-Chancellor
   Visva Bharati
   Santiniketan
   (West Bengal)
5. Professor R. C. Das
   217, Kedar Gouri Road
   Bhubaneswar 751 002
6. Dr. S. R. K. Chopra
   Vice-Chancellor
   Kurukshetra University
   Kurukshetra 132 119

7. Dr. Surajit C. Sinha
Director
Centre for Studies in Social Sciences
10, Lake Terrace
Calcutta 700 029

8. Dr. Suresh Dalal
Director
SNDT Women's University
Deptt. of Post Graduate
Studies & Research
Patkar Hall Bludg.
6th Floor
1, Nathibai Thackersey Road
Bombay 400 020

9. Shri Biren Bhattacharyya
Vice-President
Sahitya Akademi
Kharghuli
Guwahati 781 004

10. Professor A. K. Jalaluddin
Joint Director
NCERT
Sri Aurobindo Marg
New Delhi 110 086

11. Professor K. A. Isaac
TC. 17-24, Jagathy
Trivandrum 695 014

12. Professor Rajanikant Pancholi
Professor of English & Fellow
M. S. University of Baroda
A-1, Polytechnic Compound Qrs.
Baroda 390 002

13 Shri J. D. Gupta
Joint Secretary
(Book Promotion)
Ministry of Human Resource Development
Department of Education
Shastri Bhawan
New Delhi

14. Mrs. C. P. Sujaya
Joint Secretary to the Govt. of India
Ministry of Social & Women's Welfare
Shastri Bhawan
New Delhi

15. Shri Jai Lal
Controller of Accounts
Ministry of Human Resource Development
Department of Education
Room No. 210
Shastri Bhawan
New Delhi

16. Professor I. N. Choudhuri
Secretary
Sahitya Akademi
Rabindra Bhawan
35, Ferozshah Road
New Delhi 110 001

17. Dr. Syed Asad Ali
Director (Acting)
National Book Trust, India
A-5, Green Park
New Delhi 110 016

18. Shri T. S. Rajagopalan
Flat No. 115, Block BE
DDA Self Financing Scheme
Janakpuri
New Delhi 110 058

19. Shri Subhas C. Biswas
Director
Central Secretariat Library
Shastri Bhawan
New Delhi

20. Dr. R. S. P. Singh
Librarian
Sinha Library
Patna

21. Dr. B. P. Barua
Director, RRRLF
Calcutta

MEMBERS OF THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

1. Professor D. P. Chattopadhyaya
   Chairman, RRRLF
   25, Park Mansions, Park Street
   Calcutta-700016

2. Shri R. C. Tripathi
   Joint Secretary to the
   Government of India
   Ministry of Human Resources Development
   Department of Culture
   Shastri Bhawan
   New Delhi

3. Professor Ashin Dasgupta
   Director, National Library
   Belvedere, Calcutta

4. Shri Jai Lal
   Controller of Accounts
   Ministry of Human Resource Development
   Department of Education
   Room No. 210, 'C' Wing
   Shastri Bhawan
   New Delhi

5. Professor R. C. Das
   217 Kedar Gouri Road
   Bhubaneswar 751 002

6. Dr. S. R. K. Chopra
   Vice-Chancellor
   Kurukshetra University
   Kurukshetra 132 119

7. Shri Biren Bhattacharyya
Vice-President
Sahitya Akademi
Kharghuli
Guwahati 781 004

8. Shri T. S. Rajagopalan
Plot No. 115, Block BE
DDA Self Financing Scheme
Janakpuri, New Delhi 110 058

9. Professor K. A. Issac
TC 17-24, Jagathy
Trivandrum 695 014

10. Dr. Suresh Dalal
Director, SNDT
Women's University
Deptt. of Post Graduate Studies & Research
Patkar Hall Building, 6th Floor
1, Nathibai Thackersey Road
Bombay 400 020

11. Dr. B. P. Barua
Director, RRRLF
Calcutta

LIST OF CONVENERS OF STATE LIBRARY PLANNING COMMITTEES

1. ANDHRA PRADESH
   Director of Public Libraries
   Andhra Pradesh
   Afzalgunj
   Hyderabad
   500012

2. ASSAM
   Director of Library Services
   Assam
   Guwahati
   781001

3. BIHAR
   Superintendent of Libraries
   Bihar
   Sinha Library Road
   Patna
   Bihar
   800001

4. GUJARAT
   Curator of Libraries
   Gandhinagar
   Gujarat
   382121

5. HARYANA
   Director of Higher Education
   Haryana
   Chandigarh
   160001

6. HIMACHAL PRADESH
Chief Librarian
Central State Library
Solan
Himachal Pradesh
173212

7. JAMMU & KASHMIR
Director of Libraries
Directorate of Libraries
Deptt. of Education
J. & K. Government
New Mini Secretariat
Jammu/Srinagar

8. KARNATAKA
Director
Department of Public Libraries
Government of Karnataka
Visveswaraiah Centre
4th Floor
Dr. Ambedkar Veedhi
Bangalore

9. KERALA
State Librarian
Trivandrum Public Library
Trivandrum
695001

10. MAHARASHTRA
Director of Libraries
Town Hall
Bombay
Sahid Bhagat Sing Marg
Bombay
400023

11. MADHYA PRADESH
Commissioner
Tribal Welfare Department
Govt. of Madhya Pradesh
Satpura Bhawan, Bhopal

12. MANIPUR
Chief Librarian
State Central Library
Imphal, Manipur

13. MEGHALAYA
Director of Public Instruction
Meghalaya
Secretariat Building
Shillong
Meghalaya 793001

14. NAGALAND
Director
Art & Culture
Kohima, Nagaland

15. ORISSA
Deputy Secretary
Govt. of Orissa
Deptt. of Tourism,
Sports & Culture
Bhubaneswar
Orissa 751001

16. PUNJAB
Assistant Director (Cultural Affairs)
Director of Public Instruction
(Colleges), Punjab
S.C.O. No. 66-67, Sector 17B
Chandigarh 160017

17. RAJASTHAN
Deputy Secretary
Social Education
Bikaner
Rajasthan

18. SIKKIM
Joint Secretary
Deptt. of Education
Govt. of Sikkim
Gangtok
Sikkim 737 101

19. TAMIL NADU
Director of Public Libraries
Egmore
Madras 600 008

20. TRIPURA
Senior Librarian
Birchandra State Central Library
Agartala
Tripura 799 001

21. UTTAR PRADESH
Officer on Special Duty (Libraries)
Govt. of Uttar Pradesh
38 Darbari Lal Sharma Marg
Secretariat Annexe
Vidhan Bhavan
Lucknow 226 001

22. WEST BENGAL
Director of Library Services
Govt. of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta 700 001

23. ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
Director of Education
Andaman & Nicobar Administration
Port Blair
Andaman

24. ARUNACHAL PRADESH
Dupty Chief Librarian
Govt. of Arunachal Pradesh
Itanagar
791 111

25. CHANDIGARH
Librarian
T. S. Central State Library
Chandigarh
Sector 17
Chandigarh

26. DADRA & NAGAR HAVELI
Director of Education
Dadra & Nagar Haveli
Silvasa

27. DELHI
Director of Education
Delhi Administration
Old Secretariat
Delhi

28. GOA, DAMAN & DIU
Curator
Govt. of Goa
Central Library
Panaji
Goa
403 001

29. LAKSHADWEEP
Social Welfare Officer
Union Territory of Lakshadweep
Department of Social Welfare & Culture
Kavaratti
Via H.P.O. Calicut
67355

30. MIZORAM
Deputy Director of Education
Art & Culture
Govt. of Mizoram
Aizawl
Mizoram

31. PONDICHERRY
Director of Education
Pondicherry Administration
Pondicherry
605001

ORGANISATION CHART

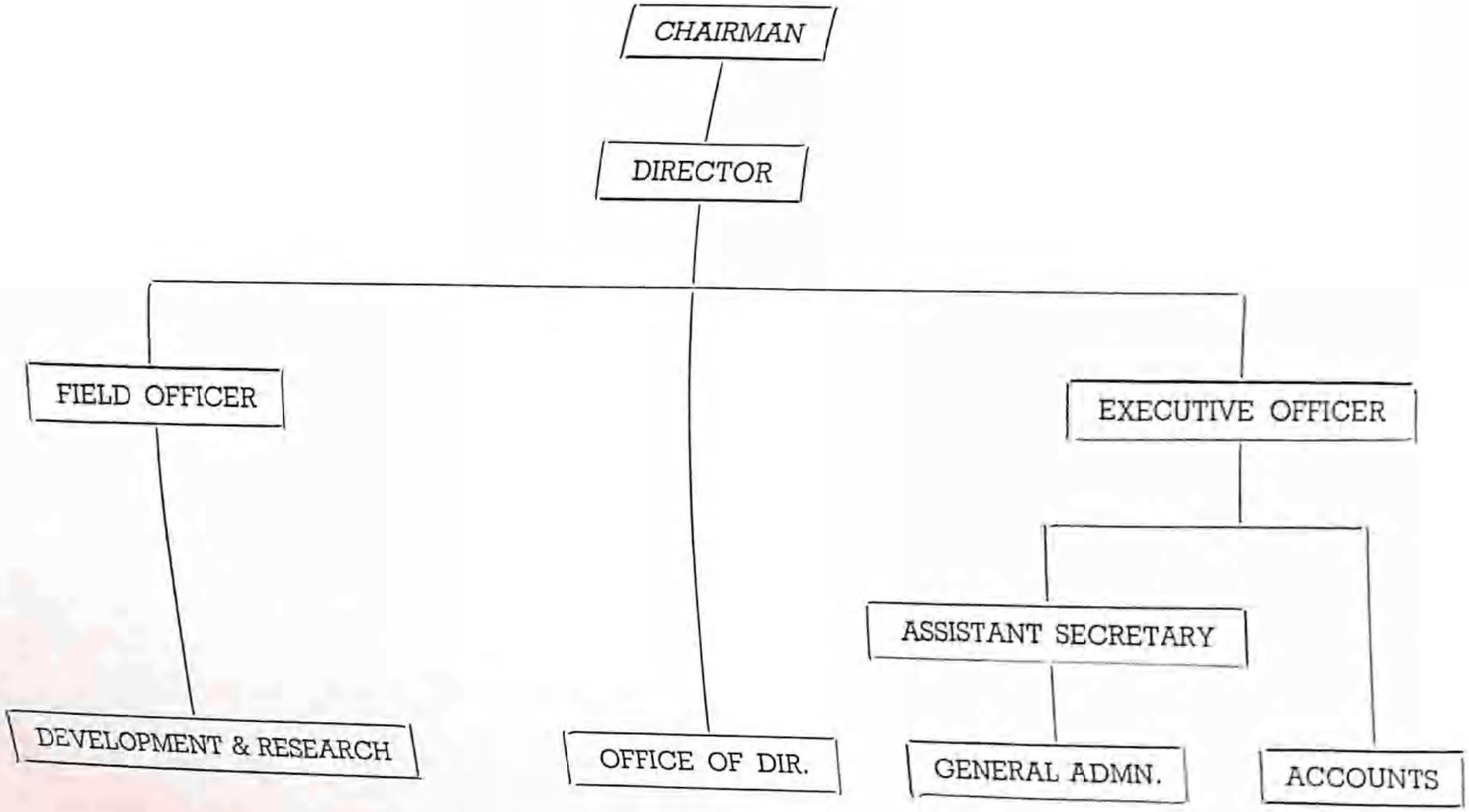

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF ASSISTANCE DURING 1986-87

(Figures in thousand)

Name of the State/U.T.	Opening Balance	Contribution recd.	Matching Assistance	Total Fund available	Assistance rendered	Balance if any
Andhra Pradesh	(—)156	1000	1000	1844	10	1834
Assam	206	50	50	306	196	110
Bihar	436	—	—	436	15	421
Gujarat	396	310	310	1016	538	478
Haryana	—	—	—	—	—	—
Himachal Pradesh	—	800	800	1600	969	631
Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—	—
Karnataka	544	400	400	1344	548	796
Kerala	516	150	150	816	122	694
Madhya Pradesh	78	500	612	1190	917	273
Maharashtra	497	300	300	1097	72	1025
Manipur	—	—	—	—	1	(—)1
Meghalaya	—	25	25	50	—	50

Nagaland	*108*	*50*	*50*	*208*	*56*	*152*
Orissa	*(–)207*	*250*	*250*	*293*	*845*	*(–)552*
Punjab	*88*	*200*	*200*	*488*	*359*	*129*
Rajasthan	*106*	*100*	*100*	*306*	*664*	*(–)358*
Sikkim	*14*	—	—	*14*	—	*14*
Tamil Nadu	*1701*	*400*	*400*	*2501*	*1418*	*1083*
Tripura	117	140	140	397	196	201
Uttar Pradesh	419	650	650	1719	533	1186
West Bengal	(–)639	800	800	961	94	867
Andaman & Nicobar	10	—	—	10	2	8
Arunachal Pradesh	53	10	10	73	43	30
Chandigarh	100	50	50	200	187	13
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—	—
Delhi	—	—	—	—	—	—
Goa, Daman & Diu	44	—	—	44	34	10
Lakshadweep	—	—	—	—	—	—
Mizoram	5	60	60	125	120	5
Pondicherry	85	25	25	135	76	59
TOTAL	4521	6270	6382	17173	8015	9158

(i) *Receipts and Payments Accounts*

RECEIPTS

	Rs. P.	Rs. P.
I. Opening Balance :		
Cash in hand	167.57	51,64,302.68
Cash at Bank	51,64,135.11	1,000.00
Permanent Advance (Imprest)		
II. Contribution Received from the Governments of :		
1. Andhra Pradesh	10,00,000.00	
2. Assam	50,000.00	
3. Arunachal Pradesh	10,000.00	
4. Chandigarh	50,000.00	
5. Gujarat	3,10,000.00	
6. Himachal Pradesh	8,00,000.00	
7. Karnataka	4,00,000.00	
8. Kerala	1,50,000.00	
9. Madhya Pradesh	5,00,000.00	
10. Maharashtra	3,00,000.00	
11. Meghalaya	25,000.00	
12. Mizoram	60,000.00	
13. Nagaland	50,000.00	
14. Orissa	2,50,000.00	
15. Punjab	2,00,000.00	
16. Pondicherry	25,000.00	
17. Rajasthan	1,00,000.00	
18. Tamil Nadu	4,00,000.00	
19. Tripura	1,40,000.00	
20. Uttar Pradesh	6,50,000.00	62,70,000.00
21. West Bengal	8,00,000.00	
III. Grants Received from Govt. of India :		
Non-Plan	11,89,000.00	48,82,000.00
Plan	36,93,000.00	
C/F.		1,63,17,302.68

Library Foundation

for the period from 1.4.86 to 31.3.87

PAYMENTS

	Rs. P.	Rs. P.
I. **Administration :**		
1. Pay & Allowances of Staff	5,72,421.30	
Less Recv. IT	4,048.00	
	5,68,373.30	
Less Recov. P.T.	3,944.00	5,64,429.30
2. Travelling Allowance of staff		69,623.90
3. Medical & Other allowances of staff		19,798.00
4. T. A. etc. of non-official members in connection with meeting of the Foundation, Administrative Committee etc.		1,08,764.80
5. Other charges		2,43,149.19
6. Leave Salary & Pension contribution		31,357.00
7. Maintenance of Staff Car		40,096.13
8. Foundation's contribution to CPF including interest		3,534.96
9. Payment of interest to GPF.		22,733.00
10. Staff Welfare		1,099.65
11. Audit Fee		—
12. Departmental Canteen	23,824.80	23,728.80
Less P. Tax	96.00	
13. *Advances :*		
(i) Festival		9,200.00
(ii) Flood		9,500.00
(iii) By-cycle		1,200.00
(iv) Fan		—
14. Deposit of Income Tax		4,048.00
15. Deposit of Professional Tax		3,944.00
		11,56,256.73

C/F

RECEIPTS

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		1,63,17,302.68
IV. Miscellaneous Receipts :		
1. Bank Interest	2,79,800.76	
2. Refund of T.A (Staff)	516.20	
3. Refund of Leave Salary	667.10	
4. Security Deposit	1,800.00	
5. Sales Proceeds	270.00	
6. Private use of Staff Car	502.10	
7. Royalty	3,852.50	
8. Refund of T.A. (Members)	322.00	
9. Other Receipts	63.90	2,87,794.56
V. RRRLF (Employees) CPF. Account :		
I. *Opening Balance :*		
Cash in hand	NIL	
Cash at Bank (including investment)	2,31,763.00	2,31,763.00
II. *Contribution etc. :*		
(i) Employees Subscription	5.002.00	
(ii) Refund of Advance	—	
(iii) Foundation's Contribution to CPF.	898.00	
(iv) Foundation's Contributions towards payment of Interest	2,636.96	
(v) Interest received from Bank (Savings A/c)	3,005.04	11,542.00
C/F.		1,68,40,402.24

PAYMENTS

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.	11,56,256.73	
16. Deposit of Professional Tax of Canteen Staff	96.00	
17. Payment of Bonus	20,057.40	
18. Refund of Security	5,000.00	
19. Pay & Allowances of Staff of Delhi Guest House	6,429.00	
20. Rent of Building for Delhi Guest House	36,330.00	
21. Deposit of Land Lord for Delhi Guest House rent	51,000.00	
22. Other charges for Delhi Guest House	14,269.82	
23. Deposit to P & T Department for Delhi Guest House	8,000.00	12,97,438.95
II. **Promotion of Library Service :** ***(Continuing Schemes)***		
1. Assistance towards building up of adequate stock of books & reading & visual materials		
(i) Strengthening of District & Sub-Divisional libraries	7,30,955.97	
(ii) Assistance to rural Libraries	68,31,385.06	
(iii) Assistance to Centrally Sponsored Libraries	82,007.71	
(iv) Assistance to State & District libraries through Central Selection of Books	20,98,461.99	
2. Assistance towards development of Rural Book Deposit Centres & Mobile Library Services	3,41,354.47	
		12,97,438.95
C/F.	1,00,84,165.20	

RECEIPTS

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		1,68,48,402.24
VI. RRRLF (Employees) GPF Account :		
I. *Opening Balance :*		
Cash in hand	NIL	
Cash at Bank	72,973.00	72,973.00
II. *Subscription etc. :*		
(i) Employees subscription	52,584.00	
(ii) Refund of advance	15,057.00	
(iii) Payment of Interest	22,783.00	
(iv) Interest from Bank	3,093.00	93,517.00
C/F.		1,70,14,892.24

PAYMENTS

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.	1,00,81,165.20	12,97,438.95
3. Assistance to old and well established libraries towards processing (Cataloguing & Classification) Binding & Preservation of out-of-print books and of rare manuscripts	16,999.70	
4. Assistance to libraries towards storage of books	1,13,435.00	
5. Assistance towards organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions etc.	65,000.00	
6. Financial Assistance to Voluntary Organisations working in the Field of Public Libraries	30,55,300.00	1,33,34.899.90
III. **Other Promotional Activities :**		
1. Meeting	93,513.80	
2. Special Library	6,145.25	
3. Publications	12,361.78	1,12,020.83
IV. **Capital Expenditure :**		
1. Furniture & Equipments	3,76,109.30	
2. Furniture and Equipments for Delhi Guest House	69,412.57	
3. Construction of Office Building	16,912.54	
4. Advance for Construction of Office Building	13,00,000.00	17,62,434.41
V. **Closing Balance**		
1. Cash in Hand	1,758.05	97,303.15
2. Cash at Bank	95,545.10	1,000.00
3. Permanent Advance (Imprest)		
C/F.		1,66,05,097.24

RECEIPTS

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			1,70,14,892	24
GRAND TOTAL			1,70,14,892	24

PAYMENTS

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		1,66,05,097.24
VI. RRRLF (Employees) CPF. Account :		
1. Advance to Employees	NIL	
2. Payment towards final settlement	NIL	NIL
3. ***Closing Balance :***		
Cash in hand	NIL	
Cash at Bank (including investment)	2,43,305.00	2,43,305.00
VII. RRRLF (Employees) GPF. Account :		
1. Advance to Employees	28,000.00	
2. Payment towards final settlement	NIL	28,000.00
3. ***Closing Balance :***		
Cash in hand	NIL	
Cash at Bank	1,38,490.00	1,38,490.00
GRAND TOTAL		1,70,14,892.24

(ii) *Income and Expenditure Account*

EXPENDITURE

	Rs. P	Rs. P.
I. **Administration :**		
1. Pay & Allowances of staff	5,84,422.50	
2. Travelling Allowances of staff	69,107.70	
3. Medical & other allowances of staff	19,798.00	
4. T.A. etc. of the non official members of the Foundation, Administrative Committee etc.	1,08,442.80	
5. Other charges	2,43,965.19	
6. Leave Salary and Penslon Contribution	31,357.00	
7. Maintenance of Staff Car	40,096.13	
8. Foundation Contribution to CPF	898.00	
9. Payment of Interest on GPF	22,783.00	
10. Payment of Interest on CPF	2,636.96	
11. Staff Welfare	1,099.65	
12. Departmental Canteen	23,824.80	
13. Payment of Bonus	20,057.40	
14. *Loss :* For exchange of three old typewriter into new one	5,250.87	
15. Pay & Allowances of staff of Delhi Guest House	6,729.00	
16. Rent of Delhi Guest House	51,000.00	
17. Other charges for Delhi Guest House	14,289.82	12,45,738.82
II. **Promotion of Library Services :** *(Continuing Scheme)*		
Assistance paid by way of purchase and distribution of books (Dt. Rural, Central Selection and Cent. Spon. Scheme)	97,42,810.73	
Less : Clearance of old liabilities during the year	5,88,805.03	
	91,54,005.70	95,70,796.65
Add : Outstanding liabilities during the year	4,15,700.95	
C/F.		1,08,16,445.47

for the year ending on 31.3.1987

INCOME

	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
I. **Contribution Received from the Government:**			
(a) State Government		62,70,000.00	
(b) Central Govt.	48,82,000.00		
Less : Fund capitalised for capital expenditure	17,63,328.79	31,18,671.21	93,88,671.21
			93,88,671.21

EXPENDITURE

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		1,08,16,445.47
Assistance to old and well established libraries towards processing (Cataloguing and Classification) Binding and Preservation of out-of-print books and rare manuscripts		16,999.70
Assistance to libraries towards Storage of books		1,13,435.00
Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions		65,000.00
Financial Assistance to Voluntary Organisations working in the field of public libraries		30,55,300.00
Assistance towards development of rural book deposit centres and Mobile Library Services		3,41,354.47
III. **Other Promotional Activities :**		
1. Meeting	93,449.90	1,05,811.68
2. Publication	12,361.78	
GRAND TOTAL		1,45,14,346.32

INCOME

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		93,88,671.21
II. **Miscellaneous Receipts :**		
1. Interest on Cycle Advance		96.30
2. Interest on Fan Advance		26.00
3. Sales Proceeds		270.00
4. Private use of Staff Car		502.10
5. Royalty		3,852.50
III. Interest received from Bank		2,79,800.76
IV. Recovery of Service Charge from employees of Delhi Guest House		300.00
V. Excess expenditure over Income		48,40,827.45
GRAND TOTAL		1,45,14,346.32

(iii) *Balance Sheet as on*

LIABILITIES

	Rs. P.	Rs. P.
I. Capital Fund :		
As per last Account	74,72,388.18	
Less excess of expenditure over Income	48,40,827.45	
	26,31,560.73	
Add Fund Capitalised	17,63,328.79	43,94,889.52
II. Outstanding Liabilities :		
As per last Account	8,35,769.55	
Less clearance during the year	5,88,805.03	
	2,46,954.52	
Add outstanding liabilities during the year	4,16,700.95	6,63,655.47
III. C. P. F. Contribution received but not adjusted (As per last Account)		1,359.00
IV. Royalty Advance (As per last Account)		100.00
V. Security Deposit :		
As per last Account	5,500.00	
Add during the year	1,800.00	
	7,300.00	
Less refund during the year	5,000.00	2,300.00
C/F.		50,62,303.99

ASSETS

	Rs. P.	Rs. P.
I. **Furniture & Equipments :**		
As per last Account	3,31,516.89	
Add during the year	4,07,224.30	
	7,38,741.19	
Less Loss due to exchange of three old typewriters	5,250.87	7,33,490.32
II. **Land & Building :**		
Land		
As per last Account	80.768.46	
Add during the year	—	80,768.46
Building		
As per last Account	1,19,451.84	
Add during the year	16,912.54	1,36,364.38
III. **Staff Car :**		
As per last Account	1,16,886.61	
Add during the year	—	1,16,886,61
IV. **Special Library :**		
As per last Account	47,265,71	
Add during the year	7,494.20	54,759.91
V. **Deposit (P & T Deptt.)**		
As per last Account	16,200.00	
Less clearance during the year	816.00	15,384.00
VI. **Delhi Guest House :**		
(a) *Furniture & Equipments*		
As per last Account	—	
Add during the year	69,412.57	69,412.57
C/F.		12,07,066.24

LIABILITIES

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		50,62,303.99
VI. RRRLF (Employees) C.P.F. Account :		
As per last Account	2,31,763.00	
Add during the year	11,542.00	
	2,43,305.00	
Less withdrawal during the year	—	2,43,302.00
C/F.		53,05,608.99

ASSETS

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		12,07,066.24
(b) Land Lord (Rent of Building)		
As per last Account	—	
Add deposit during the year	51,000.00	
	51,000.00	36,330.00
Less clearance during the year	14,670.00	
(c) Deposit (P & T Deptt.)		
As per last Account	—	8,000.00
Add deposit during the year	8,000.00	
VII. Advance :		
Festival :		
As per last Account	5,520.00	
Add during the year	9,200.00	
	14,720.00	4,600.00
Less refund during the year	10,120.00	
Bi-Cycle :		
As per last Account	1,320.00	
Add during the year	1,200.00	
	2,520.00	1,376.00
Less refund during the year	1,144.00	
Fan :		
As per last Account	560.00	
Add during the year	—	
	560.00	—
Less refund during the year	560,00	
Flood :		
As per last Account	—	
Add during the year	9,500.00	
	9,500.00	8,778.00
Less refund during the year	722.00	
C/F.		12,66,150.24

LIABILITIES

	Rs. P.	Rs. P.
B/F.		53,05,608.99
VI. **RRRLF (Employees) G.P.F. Account :**		
As per last Account	72,973.00	
Add during the year	93,517.00	
	1,66,490.00	
Less withdrawal during the year	28,000.00	1,38,490.00
GRAND TOTAL		54,44,098.99

Sd/- A. K. BANERJEE
Accounts Officer

Sd/- R. BHATTACHARJEE
Field Officer

ASSETS

	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
B/F.			12,66,150.24
VIII. **Advances :**			
(a) (i) *Advance for Construction of Office Building to M.D. Deptt.*			
As per last Account	23,97,616.30		
Add during the year	3,00,000.00	26,97,616.30	
(ii) *Advance for Construction of Office Building to N.B.C.C.*			
As per last Account	—		
Add during the year	10,00.000.00	10,00,000.00	
(b) *Advance for purchase of Generator*			
As per last Account	31,115.00		
Less clearance during the year	31,115.00	—	
(c) *Advance for purchase of UNESCO Publication for Special Library*			
As per last Account	1,583.25		
Less clearance during the year	1,348.95	234.30	36,97,850.30
IX. **RRRLF (Employees) GPF Account :**			
Closing Balance :			
Cash in Hand		—	
Cash at Bank (including investment)		2,43,305.00	2,43,305.00
X. **RRRLF (Employees) GPF Account :**			
Closing Balance :			
Cash in Hand		—	
Cash at Bank		1,38,490.00	1,38,490.00
XI. **Closing Balance :**			
Cash in Hand		1,758.05	97,303.15
Cash at Bank		95,545.10	
Permanent Advance (Imprest)			1,000.00
GRAND TOTAL			54,44,098.99

Sd/- B. P. BARUA
Director

AUDIT REPORT ON RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION, CALCUTTA FOR THE YEAR 1986-87

1. Introductory

The Raja Rammohun Roy Library Foundation was set up by the Government of India in May 1972 as an Autonomous Body registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961 with a view to promoting and supporting the public library movement in the country by providing adequate Library Services and popularising the reading habit particularly in rural areas. It is mainly financed by the Government of India and it renders financial aid and technical assistance to libraries.

2. Utilisation of grants and contributions

2.1 The details of utilisation of grants and contributions received during the year 1986-87 were as follows :—

			Amount (Rs. in Lakhs)
A.	Opening Balance as on 1st April, 1986		51.64
B.	Grants received from the Government of India during the year 1986-87		
	(i) Non-plan	11.89	48.82
	(ii) Plan	36.93	
	TOTAL	(A+B)	100.46

		Amount (Rs. in lakhs)
TOTAL (A+B)		100.46
C. Contributions received during the year 1986-87		
(i) 17 States	61.25	
(ii) 4 Union Tarritories	1.45	62.70
D. Miscellaneous receipts (execluding Rs. 516.20 being refund of TA of staff, Rs. 667.10 being refund of leave salary contributions and Rs. 322.00 being refund of TA of members. These amounts were treated as recoveries of expenditure)		2.86
TOTAL (A+B+C+D)		166.02
Less : expenditure incurred during the year 1986-87		165.05
Closing balance as on 31st March, 1987		0.97

There was outstanding liabilities to the tune of Rs. 6.64 lakhs as on 31st March, 1987 against which the amount available as unspent balance was only Rs. 0.97 lakhs on thst date. The Foundation, however, stated (September, 1987) that the closing balance of Rs. 0.97 lakh as on 31st March, 1987 represented unspent state governments contributions (Rs. 89,819) and Non-plant grant (Rs. 7,181) and this would not be available to meet outstanding liabilities under the assistance Schemes which were to be met from plan budget.

The Foundation was unable to segregate the unspent balance of Government of India grants and State

Government contributions as no separate accounts were maintained.

2.2 The quantum of financial assistance rendered by the Foundation for each State and Union Territory was generally given on a matching basis in equal ratio and the maximum amount to be matched in a year was limited to Rs. 2 lakhs. The Foundation stated that (September 1987) during the 7th Plan Period the limit was enhanced to Rs. 5 lakhs depending on size, population past utilisation and availability of resource of the states. Though the State Governments and Union Territories did not pay contribution every year, the arrears were sub-sequently paid in order to obtain the benefits of the Scheme for the respective years. The practice of sending proposals by States for purchase of books for several years together as already pointed out in paragraph 1.2 of the Audit Repert for the year 1985-86 continued. The accounts, however, did not indicate and distinguish contributions received between current year and past years.

3. Balance Sheet

3.1 As per Balance Sheet (Assets Side), the Staff Car was valued at Rs. 1,16,886.61 but in the Assets Registers, the value of staff car was Rs. 29,111.85. The last entry recorded in the register related to the year 1983-84. The assets register was, therefore, incomplete and the discrepancy needed to be reconciled.

3.2 In the Balance sheet (Assets Side), the value of land was exhibited as Rs. 80,768.45 but in the assets register, the value was recorded as Rs. 72,240. The discripancy needed to be reconciled.

3 3 The Value of the Building was exhibited in the

Balance Sheet (assets side) as Rs. 1,36,364.38 but no entry was found to have been recorded in the assets register.

3.4 The amount of outstanding advances as per Balance Sheet (Assets Side) was Rs. 36,97,850.60. Out of this amount, the sum of Rs. 20,00,000.00 was remaining unadjusted for a period over three years. Schedules of deposits and advances were not furnished with the Balance Sheet. The Foundation stated (September 1987) that of the total outstanding advances, Rs. 26,97,616 were adjusted in August 1987.

3.5 The Balance Sheet (Assets Side) exhibited the sum of Rs. 2,43,305.00 as cash at Bank (tncluding investment) under C.P.F. A/c without indicating the details of the amounts invested. The Foundation stated (September 1987) that a sum of Rs. 1.60 lakhs had been invested in special deposit, State and Central Government Securities, Negotiable Security and 7-year National Savings Certificate. The details of investment needed to be exhibited in the Balance Sheet and the amount of interest earned out of investment should be apportioned and credited to Income and Expenditure Account as accured income. It is desirable to prepare separate Receipts and Payments Account, Income and Expenditure Account and Balance Sheet in respect of G.P. Fund/C.P. Fund, linking it with main account.

3.6 The Foundation did not maintain any records indicating yearwise break up of outstanding liabilities.

4. **Administrative Expenses—Travelling Allowances etc. of Non-Official Members**

The amount of expenditure incurred by the Foundation in payment of travelling allowances (including daily

allowances) to Non-official members of the Foundation for attending meetings of Administrative Committee, Grants Committee, Book Selection Committee and General Body, etc. during the last five years, is indicated below :—

Year	*Amount (Rs. in lakhs)*
1982-83	0.47
1983-84	0.52
8984-85	0 55
1985-86	0.50
1986-87	1.09

The increasing trend of expenditure on account of Travelling allowance etc. to non-official members was attributed (September, 1987) by the Foundation to constitution of various committees and sub-commitees for effective implementation of several assistance schemes, substantial increase in air fares and enhancement of rates of daily allowanoe to non-official members. It was, however, noticed that air fares were allowed to persons (non-official members) not entitled to travel by air under rules the and orders of the Government of India. It was further noticed that no scalcs were laid down by the Foundation for payment of hotel expenses to non-official members for their board and lodging in hotels and alse for quantum of charges on account of lunch, tea etc. served to such members attending meetings of committees and sub-committees.

5. Committed liability

5.1 The committed liability of the Foundation increased from Rs. 45.21 lakhs in 1985-86 to Rs. 91.58 lakhs in 1986-87 on different assistance schemes against contributions

which were received but remained unspent due to various reasons, like proposals not received, bills awaiting adjustment, etc. and also due to incurring excess expenditrue in respect of some states by diversion of contributions received from other states to be adjusted against future contribution. Although the excess expenditure incurred in respect of Andhra Pradesh, West Bengal and Orissa to the tune of Rs. 1.56 lakhs, Rs. 6.39 lakhs and Rs. 2.07 lakhs respectively during the year 1985-86 (referred to in paragraph 4 of the Audit Report for the year 1985-86) had been adjusted in the year 1986-87, excess expenditure of Rs. 5.52 lakhs for Orissa, Rs. 3.53 lakhs for Rajasthan and Rs. 1 thousand for Manipur were incurred by the Foundation remained unadjusted till the end of 1986-87.

5.2 Out of the total committed liability of Rs. 91.58 lakhss the liability in respect of the following states was above Rs. 4 lakhs.

Name of States/Union Territories	*Amount (Rs. in lakhs)*
1. Andhra Pradesh	18.34
2. Uttar Pradesh	11.86
3. Tamil Nadu	10.83
4. Maharashtra	10.25
5. West Bengal	8.67
6. Karnataka	7.96
7. Kerala	6.94
8. Himachal Pradesh	6.31
9. Gujarat	4.78
10. Bihar	4.21

6. Account not submitted by Libraries receiving financial assistance.

6.1 The Foundation rendered financial assistance (paid in the from of cash grant) to different libraries during the year 1986-87 under the following schemes :—

(a) Assistance to old and well established libraries towards processing, binding and preservation out of print books and of rare manuscript (Rs. 0.17 lakh).

(b) Assistance for organisation of seminars, workshops, Training course and Book exhibition (Rs. 0.65 lakh).

(c) Assistance to libraries for storage of books :— (Rs. 1.13 lakhs).

(d) Assistance towards development of rural book deposit Centre : (Rs. 3.45 lakhs).

(e) Final assistance to Voluntary Organisations working in the field of Public Library :— (Rs. 30.55 lakhs).

6.2 The libraries and organisations receiving cash grants were required to furnish Utilisation Certificate and Audited Statement of Accounts to the Foundation in support of the expenditure incurred out of grant after the close of the financial year in which grants were paid. The Foundation paid cash grant of Rs. 17.83 lakhs upto the year 1985-86 and Rs. 35 92 lakhs during the year 1986-87. Out of the total grants of Rs. 53.75 lakhs (Rs. 17.83 plus Rs. 35.92) paid upto the year 1986-87, the Utilisation Certificates and Audited Statements of Accounts had not been received for Rs. 46.10 lakhs from 1132 number of libraries and Organisations upto the end of the year 1986-87, the details of which are shown in the table below. The outstanding Utilisation Certificates shown in the table related to 1972-73 to 1986-87.

Name of the Scheme	Amount paid upto the end of 31st March, 1987 (Rs. in lakhs)	Number of libraries covered	Amount for which Utilisation Certificate and Audited Statement of Accounts were not received (Rs. in lakhs)	Number of libraries involved
Binding & Preservation	7.51	461	3.32	295
Workshop, seminar and Exhibition	3.72	56	2.16	33
Storage of books	8.56	989	6.66	676
Voluntary Organisation	30.55	128	30.55	128
Rural Book Deposit Centre	3.41	Not furnished	3.41	Not furnished
	53.75	1634	46.10	1132

The Foundation should maintain year-wise break-up of the figures.

7. Inspection of libraries

7.1 In paragraph 7 of the Audit Report for the year 1985-86, the need for inspection of libraries receiving grants from the Foundation was emphasised. In the Annual Report of the Foundation for the year 1985-86 it was stated that Foundation had coverd inspection of 18,347 libraries at various levels since 1972-73 to 1985-86 in respect of which financial assistance to the tune of Rs. 472.64 lakhs were provided during the last 14 years. During the year 1986-87, the Foundation covered 4387 libraries in respect of which financial assistance to the tune of Rs. 133.35 lakhs had been given. No year-wise break-up for the period prior to 1977-78 was available. The break-up since the year 1977-78 was as follows :—

Year	No. of libraries covered	Amount of financial assistance (Rs. in lakhs)	No. of libraries actually inspected
1977-78	3090	31.43	Not available
1978-79	6113	37.97	-do-
1979-80	5747	31.98	-do-
1980-81	4998	37.12	10
1981-82	6676	32.98	9
1982-83	1957	49.12	10
1983-84	3369	39.70	18
1984-85	2961	51.28	26
1985-86	2224	55.54	20
1986-87	4387	133.35	12

7.2 It would appear from the table that the Foundation inspected the beneficiary libraries to the extent of 0.09 percent to 0.2 percent during the period from 1977-78 to 1986-87, although a considerable amount of financial aid was paid every year.

7.3 No norms of such inspection were laid down either in the Bye-laws of the Foundation or in the rules framed thereunder. No guideline were laid down for conducting such inspection and there was no standard proforma laid down fcr preparation of such inspectton reports. The reports contained more details about the halt, etc. of the inspecting officers than the criteria by which the Inspecting Officers satisfied themselves that the grants had been properly utilised. Further, the rural areas received very little attention in comparison to urban areas in the matter of inspection.

The position did not improve in spite of the fact that the need for inspection had been emphasised in the earlier Audit Reports.

Place : Calcutta

Date : 03.11.87

Sd/-
Director of Audit
Central, Calcutta

Foundation's Comments on Audit Report for the year 1986-87

Para—2.1 Foundation segregated the closing balance of Rs. 0.97 lakhs on the basis of the records maintained in the office. However, steps are being taken to maintain separate accounts register for satisfaction of Audit.

Para—2.2 The rates of contribution have been enhanced during 7th Five Year Plan Period with the approval of the Government of India vide Department of Culture letter No. F. 27-22/85-Lib. dt. 9.8.85.

Para—3.1 to 3.3 Already reconciled and intimated to Audit vide this office letter No. F. 17-9/A & S/86-87 dated 19.9.87.

Para—3.4 No comments.

Para—3.5 Details of investment will be exhibited in the balance sheet as on 31 3.88.

Para—3.6 No comments. However, record of total outstanding liability has been maintained and this has been reflected in the Accounts.

Para—4 Air Fares were paid to the members as per rules of the Foundation with the approval of the Chairman subject to ratification by the Foundation. (Since ratified)

Para—5.1 and 5.2 and 6.1 } No comments.

Para—6.2 Steps are being taken to obtain Utilisation Certificate from the defaulting libraries.

Para—7.1 No comments.

Para—7.2 Four Assistant Field Officer have been posted to inspect the libraries since 6/87. Guidelines have been issued for conducting inspection and standard. Proforma has also been introduced for preparation of inspection report. The position will surely improve from the next financial year.

Sd/-
Accounts Officer

Sd/-
Director

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and Balance Sheet of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta for the year ending 31st March, '87. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Organisation according to the best of information and explanation given to me and as shown by the books of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta.

Place : Calcutta

Dated : 03.11.87

Sd/-
Director of Audit
Central, Calcutta

APPENDIX VII

Libraries covered during 1986-87

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

Name of the State	SCL	DL	SDL & TALUKA	T & RL	BDC	NYK	JBB	VO	TOTAL
Andhra Pradesh	1	27	×	×	×	14	×	7	49
Assam	1	10	15	100	—	—	1	1	128
Bihar	1	31	×	×	—	—	—	2	34+×
Gujarat	1	18	—	80	—	×	×	8	107
Harayana	1	5	—	—	—	7	2	2	17
Himachal Pradesh	1	11	—	151	—	7	—	1	171
Jammu & Kashmir	1	14	—	—	—	—	—	1	16
Karnataka	1	19	175	—	—	—	2	4	201
Kerala	1	11	—	512	—	—	3	24	551
Madhya Pradesh	1	29	—	2000	—	—	—	1	2031
Maharashtra	×	39	—	—	—	—	3	15	57
Manipur	1	5	—	—	—	—	—	1	7
Meghalaya	1	2	—	—	—	—	—	—	3
Nagaland	1	×	—	81	—	—	—	2	84

Orissa	*1*	*13*	—	*350*	—	—	*1*	*22*	*387*
Punjab	*1*	*12*	—	—	—	*12*	—	*1*	*26*
Rajasthan	*1*	*29*	—	*19*	—	—	—	—	*49*
Sikkim	—	*4*	—	—	—	—	—	—	*4*
Tamil Nadu	—	*13*	—	*100*	—	—	*3*	*2*	*118*
Tripura	*1*	*3*	—	*20*	—	—	—	—	*24*
Uttar Pradesh	*1*	*54*	—	*46*	—	—	*2*	*8*	*111*
West Bengal	*1*	*22*	—	×	—	—	*1*	*15*	*39+×*
Andaman & Nicobar	1	—	—	3	—	—	—	—	4
Arunachal Pradesh	1	9	—	30	—	—	—	—	40
Chandigarh	1	×	—	1	1	—	—	3	6
Dadra & Nagar Haveli	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Delhi	—	—	—	—	—	—	1	8	9
Goa, Daman & Diu	1	—	—	64	—	—	—	—	65
Lakshadweep	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Mizoram	1	2	—	40	—	—	—	—	43
Pondicherry	1	3	—	—	—	—	—	—	3
TOTAL	27	385	190	3597	1	40	19	128	4387+×

×— No of libraries Covered not Known.

APPENDIX VIII

STATEMENT OF NUMBER OF LIBRARIES ASSISTED FROM 1972-73 TO 1986-87

Name of the State	SCL	DL & DIVISION	SDL & TALUKA	TRL	BDC	NYK	JBB	OTHERS	TOTAL
Andhra Pradesh	1	27	—	852	620	14	1	—	1515
Assam	1	10	11	116	—	4	3	—	145
Bihar**	1	31	24	1624	—	13	1	—	1694
Gujarat	1	18	—	1881	11	5	1	—	1917
Haryana	1	5	—	44	—	2	6	—	58
Himachal Pradesh	1	11	—	143	—	8	1	5	169
Jammu & Kashmir	1	14	5	2	—	1	1	—	24
Karnataka	1	19	175	1924	—	8	7	—	2134
Kerala*	1	11	—	1072	—	8	4	—	1096
Madhya Pradesh	1	29	20	2005	—	11	2	—	2068
Maharashtra	1	39	195	1589	1	2	7	—	1834
Manipur	1	5	—	87	—	2	—	—	95
Meghalaya	1	2	—	—	—	1	—	—	4
Nagaland	1	—	—	81	—	—	—	—	82
Orissa	1	13	7	1236	130	10	2	116	1515

Punjab	*1*	*12*	—	—	—	*12*	—	—	*25*
Rajasthan	*1*	*29*	*9*	*38*	—	*12*	—	—	*89*
Sikkim	—	*4*	*1*	—	—	*1*	—	—	*6*
*Tamil Nadu***	—	*13*	—	*1455*	—	*10*	*3*	—	*1481*
*Tripura****	*1*	*3*	*10*	*18*	*10*	*2*	—	—	*44*
Uttar Pradesh	*1*	*56*	—	*589*	—	*28*	*2*	—	*676*
*West Bengal***	*1*	*22*	—	*2295*	*1*	*8*	*6*	—	*2439*
*Andaman & Nicobar****	*1*	—	—	*25*	—	*1*	—	—	*27*
Arunachal Pradesh	1	10	2	27	—	2	—	—	42
Chandigarh	1	—	—	1	1	1	1	—	5
Dadra & Nagar Naveli	1	1	—	—	—	1	—	—	3
Delhi	—	—	—	1	—	2	—	—	3
Goa, Daman & Diu	1	—	4	95	—	1	—	3	104
Lakshadweep	1	—	—	10	—	—	—	—	11
Mizoram	1	2	—	70	—	1	—	—	74
Pondicherry	1	2	—	51	—	2	1	—	57
TOTAL	28	388	463	17331	880	173	49	124	19436

* Fig. upto 1985-86
** Fig. upto 1981-82
*** Fig. upto 1983-84

CHART SHOWING QUANTUM OF EXPENDITURE UNDER DIFFERENT HEADS DURING 1986-87

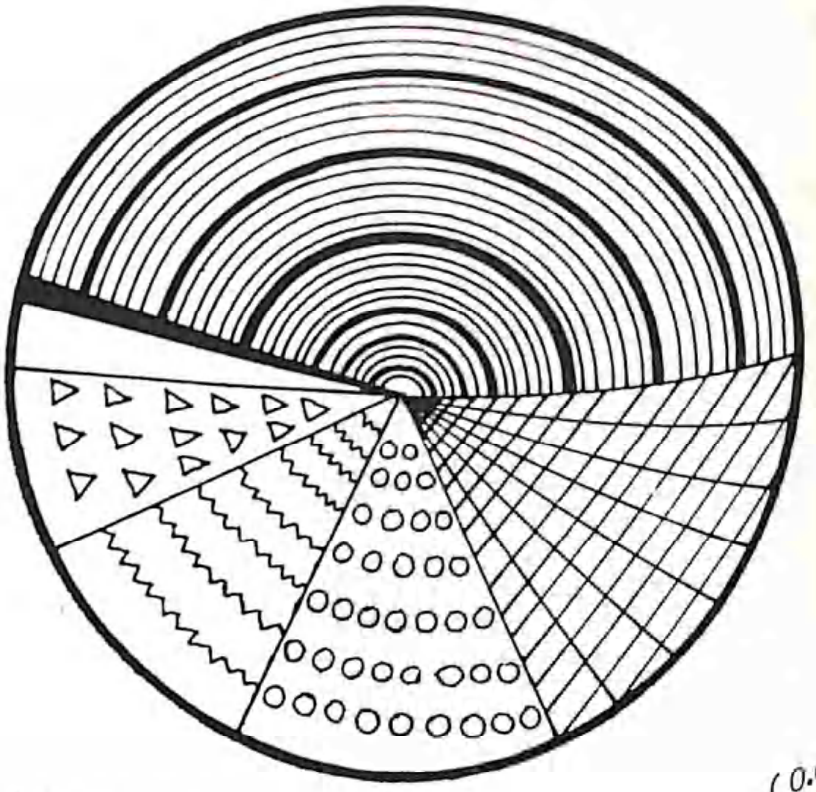

Other Promotional activities (0.68%)

Book assistance under matching scheme (45.81%)

Non-matching Financial Grant (18.51%)

Capital Expenditure (10.68%)

Book assistance under non-matching schemes (13.21%)

Administration (7.86%)

Matching Financial Grant (3.25%)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

पंचदश

वार्षिक प्रतिवेदन

1986-1987

ब्लाक डी० डी०—34, सेक्टर—1

साल्ट लेक सिटी

कलकत्ता-700 064

नवम्बर 1987

प्रकाशनाधिकार :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
ब्लाक-डी० डी०-34, सेक्टर-1,
साल्ट लेक, कलकत्ता-700 064

डा० बी० पी० बरूआ, निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, ब्लाक-डी० डी०-34, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित तथा मेहता फाईन आर्ट प्रेस, 20, बाल मुकुन्द मक्कर रोड, कलकत्ता-700 007, फोन : 39-1247 द्वारा मुद्रित।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वार्षिक प्रतिवेदन

1986-1987

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
अध्याय एक :	परिचय	1
अध्याय दो :	पुस्तक सहायता	5
अध्याय तीन :	वित्तीय सहायता	12
अध्याय चार :	प्रोन्नतिकारक गतिविधियां	15
अध्याय पांच :	प्रशासन	18
अध्याय छः :	उपसंहार	23

परिशिष्ट

1. प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची 28
2. प्रशासनिक समिति के सदयों की सूची 33
3. राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची 36
4. सगठन चार्ट 43
5. वर्ष 1986-87 के दौरान सहायता की स्थिति का विवरण 44

6. वर्ष 1986-87 के परीक्षित लेखा का विवरण एवं उस पर प्रतिष्ठान का मन्तव्य 46

7. वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न स्तरों पर दी गयी पुस्तकालय सहायता का विवरण 75

8. वर्ष 1972-73 से 1986-87 तक आच्छादित पुस्तकालय संख्या का विवरण 77

9. वर्ष 1986-87 के दौरान विभन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का अनुपात 79

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

पंचदश वार्षिक प्रतिवेदन

1986-87

अध्याय-एक

भूमिका

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना सन् 1972 में राजा राममोहन राय के द्वितीय जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर हुई। यह वर्ष भारतीय स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती वर्ष के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष भी था। यह प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित एवं प्रवर्तित एक स्वायत्त संगठन है एवं पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1961) के अन्तर्गत पंजीकृत है। प्रतिष्ठान की स्थापना का मुख्य लक्ष्य पुस्तकालय आन्दोलन को देश के कोने-कोने तक फैलाना तथा विशेष कर करोड़ो ग्राम वासियों के जीवन से युक्त करना है। राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रशासनों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के सहयोग से प्रतिष्ठान ने अपने इस उद्देश्य में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर लिया है। विगत पन्द्रह वर्षो में इसने अपने विभिन्न अग्रगामी क्रिया-कलापों के द्वारा पुस्तकालय सेवा के विकास-पथ को देदीप्यमान किया है। यह पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 के दौरान प्रतिष्ठान के समस्त क्रिया-कलापों का विवरण प्रस्तुत करता है।

चूंकि पुस्तकालय सेवा राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है अतः प्रतिष्ठान को संवैधानिक प्राविधान की निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय सेवाओं की विभिन्न अवस्थापनाएं हैं अतः प्रतिष्ठान द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायताओं में परिमाण एवं गुणात्मक भिन्नता होना स्वाभाविक है। वे राज्य जिन्होंने पुस्तकालय अधिनियम को अपना लिया है, प्रगति के क्षेत्र में दूसरों से बहुत आगे निकल गये हैं तथा उन्होंने पुस्तकालय आन्दोलन के प्रसार को नयी दिशा दी है। ऐसे राज्यों में तमिलनाडु (1948), आन्ध्र-प्रदेश (1960), कर्नाटक (1965), महाराष्ट्र (1967) तथा पश्चिम बंगाल (1979) हैं। यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि असम, गुजरात, केरल, पाण्डिचेरी आदि राज्यों ने पुस्तकालय सेवा के विकास के क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण कार्य किया है। यह बड़े चिन्ता का विषय है कि आज भी पुस्तकालय सेवा काफी हद तक व्यक्तिगत स्वैच्छिक संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ राज्यों ने पुस्तकालय की स्थापना एवं उसका प्रायोजन करना आरम्भ कर दिया है। प्रतिष्ठान ऐसे राज्यों के इस क्षेत्र में पहल को पूरा सहयोग प्रदान करता है। अपने सीमित स्रोतों से प्रतिष्ठान ने कतिपय समतुल्य एवं गैर-समतुल्य योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए कदम उठाया है।

सहायता प्रदान करने वाला निकाय होने के अतिरिक्त प्रतिष्ठान देशभर के सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकसित, मार्ग-दर्शन एवं उनके कार्यों में समन्वय प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय अभिकरण है। स्पष्टतः देशभर में पुस्तकालीय विधि-निर्माण के विचार को प्रसारित करना प्रतिष्ठान के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस पुस्तकालय विधान का उद्देश्य वैज्ञानिक स्तर पर एक ऐसा सक्षम प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना है जो उपलब्ध संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग कर सके। उसका चरम लक्ष्य समुदाय के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए ज्ञान के मुफ्त एवं सरल स्रोतों को उपलब्ध कराना है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय ने उन राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से अपील की है, जिन्होंने नयी शिक्षा नीति 1986 को ध्यान में रखते हुए अभीतक सम्बन्धित राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के स्वरूप के अनुरूप किसी वांछनीय आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को पारित नहीं किया है।

अपनी कार्य-क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठान ने सातवीं योजना के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र एवं निगरानी इकाई को विस्तृत करने का फैसला किया है। वर्ष के दौरान नई दिल्ली में एक आंचलिक कार्यालय सह अतिथिशाला खोला गया और तीन आंचलिक कार्यालय बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में क्रमशः पश्चिमांचल, दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

इस प्रतिवेदन में उत्साहित करने वाली बात यह है कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की इच्छा पर प्रतिष्ठान ने सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नयी वित्तीय योजना की शुरूआत की है।

प्रतिवेदित वर्ष का एक महत्वपूर्ण स्वरूप यह है कि प्रतिष्ठान ने 6-7 फरवरी 1987 को नई दिल्ली में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजकों के पंचम सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय "प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन—समस्याएं एवं समाधान" था। संस्कृति विभाग, भारत सरकार के तत्कालीन सचिव श्री वाई० एस० दास ने प्रतिष्ठान को पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों को प्रतिपादित करने के लिए उसके द्वारा उठाये गये कदम के लिए बधाई दी। प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में नीति-पत्र निर्धारण करने तथा कार्य-योजना तैयार करने हेतु एक समर्थ समिति का गठन किया गया है।

अन्यान्य विषयों के साथ-साथ सम्मेलन में सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाओं में वृद्धि हेतु कतिपय प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने सार्वजनिक पुस्तकालय नेट-वर्क का विकास ग्रामीण स्तर तक करने के लिए एक सावधिक कार्यक्रम तैयार करें एवं सहयोगात्मक प्रयत्न करें। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठात ने उन छोटे राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों, जो पुस्तकालय क्षेत्र में पिछड़े हैं, की पुस्तकालयीय स्थितियों का विशेष अध्ययन करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार करने की सहमति प्रकट की एवं उन क्षेत्रों में पुस्तकालय आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए क्रियात्मक रूप-रेखा के साथ एक प्रतिवेदन तैयार करने को प्रस्तुत हुआ।

इस तरह से प्रतिष्ठान के बहुमुखी एवं उन्नयन के स्फूर्ति भाव से युक्त कार्य-कलापों में एक विविध आयामी क्रिया-कलापों वाले शानदार वर्ष का जुड़ाव हुआ।

अध्याय-दो

पुस्तक एवं पाठक पुस्तकालय सेवा के दो मूल तत्व हैं। अतः प्रतिष्ठान ने सातवीं योजना के दौरान पुस्तक सहायता कार्यक्रम को अपना मुख्य कार्यक्रम बनाए रखना जारी रखा। यह सहायता दो योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है अर्थात्—

1. पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य एवं दृश्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने में सहायता।
2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों तथा चल-पुस्तकालय-सेवाओं के विकास के लिए सहायता।

1. पुस्तकों तथा पठन एवं दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने में सहायता :

पुस्तकालयों की उत्तमता उनके संग्रह तथा पाठकों की संख्या पर निर्भर करती है। पुस्तकालय तभी विकास करता है जब समय-समय पर उसके भण्डार में वृद्धि हो। किन्तु चूंकि पुस्तकों को बढ़ते मूल्यों के अनुरूप कोष-उपलब्धि नहीं होती है अतएव पाठकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तक प्राप्त करने में असुविधा होती है। कुछ राज्यों को छोड़कर जो वित्तीय व्यवस्था विभिन्न स्रोतों से हो पाती है वह मुख्यतः

कर्मचारियों के अनुरक्षण में ही खर्च हो जाती है। अतः प्रतिष्ठान ने पुस्तकालयों के पुस्तक-भण्डार में वृद्धि करने की मुख्य योजना को जारी रखा।

इस योजना के अन्तर्गत सहायता दो स्रोतों से दी जाती है—समतुल्य स्रोत एवं केन्द्रीय स्रोत। जब सहायता समतुल्य स्रोत से दी जाती है, तब पुस्तकों के चयन, क्रय तथा वितरण का दायित्व राज्य प्राधिकारियों पर होता है। तथा जब सहायता केन्द्रीय स्रोत से दी जाती है तब पुस्तकों के चयन और आपूर्ति का दायित्व प्रतिष्ठान का होता है।

समतुल्य पुस्तक सहायता

इस वृहद् योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र में प्रतिष्ठान की प्रेरणा से स्थापित राज्य पुस्तकालय योजना समिति अथवा राज्य पुस्तकालय समिति सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करती है। यह समिति पुस्तकों की सूची तथा पुस्तक भेजे जाने वाले पुस्तकालयों की सूची तैयार करती है। इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

जब पुस्तकों की सूची तथा सहायता पाने वाले पुस्तकालयों के नाम का अनुमोदन राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा हो जाता है, तब पुस्तकों के क्रय तथा वितरण का प्रबन्ध किया जाता है। कुछ राज्य जैसे—आन्ध्र प्रदेश, अरूणांचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश ने पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के दायित्व संभालने का क्रम जारी रखा। प्रतिष्ठान यह कार्य अन्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए भी कर रहा है, क्योंकि उनके पास आदेश देने एवं आपूर्तिकर्त्ता के बिलों की जांच करने के लिए उचित तन्त्र न होने के कारण वे यह कार्य

नहीं करना चाहते। प्रथमोक्ति कोटि के राज्यों से सम्बन्धित बिलों का भुगतान आदेश की प्रतियों तथा राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों द्वारा प्रमाणित विपत्रों की प्राप्ति पर प्रतिष्ठान द्वारा निर्मुक्त किया जाता है। प्रतिष्ठान द्वारा आदेश दिए जाने पर प्रकाशकों, प्राप्त कर्ताओं को 75 प्रतिशत का भुगतान, पुस्तकें भेजे जाने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर तथा शेष राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों से पावती मिलने पर किया जाता है। वर्ष के दौरान कुछ राज्यों जैसे केरल, आन्ध्र प्रदेश व्यतिक्रमी रहे जबकि दूसरे राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु ने प्राप्त सहायता के उपयोग में विलम्ब किया। चण्डीगढ़ को प्रतिष्ठान की सहायता योजना के अन्तर्गत नये लाभग्राही के रूपमें शामिल किया गया।

पुस्तकालयों के संगठनात्मक स्वरूप एवं उनके द्वारा प्रदत्त पाठक-गण सेवा के स्तर को ध्यान में रखते हुए समतुल्य पुस्तक सहायता को निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया गया है :

(क) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों को सहायता एवं

(ख) नगर तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता।

(ग) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों को सहायता—

(क) **राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों को सहायता :**

प्राय: सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में पुस्तकालय सेवा दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा की जाती है। तमिलनाडु का राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय अर्थात् कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा महाराष्ट्र की एम० एस० टाउन हॉल पुस्तकालय को पुस्तक प्रदान अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकें प्राप्त होती हैं। कतिपय राज्य जैसे—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में क्षेत्रीय पुस्तकालय एवं मण्डल पुस्तकालय भी हैं। अधिकतर

जिलों में जिला पुस्तकालय स्थापित किए गये हैं। कुछ राज्यों में केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय ही उन जिलों के लिए, जिनमें वे स्थित हैं, जिला पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय एवं क्षेत्रीय पुस्तकालय सामान्यतया सरकारी पुस्तकालय हैं तथापि बिहार में सिन्हा पुस्तकालय तथा मध्य प्रदेश में मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय जाने माने अपवाद हैं। इसी प्रकार से कुछ जिला पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय हैं और कुछ केवल सरकारी सहायता प्राप्त हैं। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 27 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा 385 जिला पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की है।

(ख) नगर और ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता :

जिला स्तर के नीचे के पुस्तकालयों का संगठनात्मक ढाँचा समस्त राज्य में एक-सा नहीं है। वे बहुधा प्रशासनिक एकक मे भिन्न-भिन्न स्वरूप के हैं। साधारणतः दक्षिण में इसे शाखा पुस्तकालय, पश्चिम एवं उत्तर में तालुका अथवा तहसील पुस्तकालय तथा पूर्व में प्रमण्डलीय पुस्तकालय कहा जाता है। इससे निम्न स्तर पर प्रखण्ड, नगरपालिका, नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय हैं। इसमें से अनेक पुस्तकालय पंजीकृत अथवा अपंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा संचालित हैं। अनुदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय कभी-कभी विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किए जाते हैं। चूँकि प्रतिष्ठान का लक्ष्य पुस्तकालय सेवा को छोटे नगरों और गांवों तक पहुंचाना है अतः इस प्रकार के लघु पुस्तकालयों की सहायता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने जिला स्तर के नीचे प्रायः 3597 पुस्तकालयों को सहायता दी है। समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत दी गई समतुल्य पुस्तक सहायता की राशि 68.31 लाख रुपये थी।

प्रत्यक्ष पुस्तक सहायता

समतुल्य सहायता के अतिरिक्त प्रतिष्ठान अपने स्रोतों से सीमित पैमाने

पर कुछ विशेष कोटि के पुस्तकालयों को प्रत्यक्ष पुस्तक सहायता भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभग्राही पुस्तकालय—नेहरू युवक केन्द्र, जवाहर बाल भवन आदि तथा (ख) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय एवं जिला पुस्तकालय जिन्हें केन्द्रीय चयन द्वारा अधिकतर अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

(क) केन्द्रीय प्रायोजित पुस्तकालयों को सहायता :

मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने युवा-सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न जिला मंत्रालयों में 15 से 35 वर्ष आयु तक के गैर-विद्यार्थी युवकों के कल्याण के लिए नेहरू युवक कल्याण केन्द्र स्थापित किया है। मनोविनोद गतिविधियों के अतिरिक्त नेहरू युवक केन्द्र से आशा की जाती है कि वे प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करेंगे तथा ग्रामीण युवा क्लब के माध्यम से चल पुस्तकालय सेवा कार्यक्रम को चलाएगें। इन केन्द्रों द्वारा गठित पुस्तकालय सेवाओं को प्रतिष्ठान प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार भारतीय बाल भवन सोसाइटी ने देश के विभिन्न भागों में जवाहर बाल-भवन प्रायोजित किए। केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग ने भी गन्दी बस्ती में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े शहरों में अरविन्द बाल केन्द्र स्थापित किए हैं। इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अथवा सरकार द्वारा संस्तुत कुछ स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दी जा सकती है। इस अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने 40 नेहरू युवक केंद्रों एवं 19 बाल-भवन एवं बाल-केन्द्रों को सहायता प्रदान की।

(ख) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय एवं जिला पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष सहायता :

उन पुस्तकों के अतिरिक्त जो प्रमुखतः भारतीय भाषाओं में हैं तथा जिनका चयन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालयों के लिए

विभिन्न राज्यों में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों द्वारा किया जाता है, प्रतिष्ठान की प्रशासन समिति देश के राज्य एवं जिला पुस्तकालयों में वितरण के लिए मुख्यतः अंग्रेजी पुस्तकों का स्वयं चयन करती है। प्रतिष्ठान की प्रशासन समिति ने इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत शीर्षकों के चयनार्थ विस्तृत मार्गदर्शन तैयार किए। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिए 154, राज्य केन्द्रीय एवं जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिए 143 तथा 27, राज्य केन्द्रीय तथा 100 जिला पुस्तकालयों के लिए 91 शीर्षकों का चयन किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की राशि 20.98 लाख रुपये थी।

2. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के विकासार्थ सहायता

यदि पुस्तकालय सेवाओं से गांवों और शहरों में बसने वाले बहुसंख्यक अर्द्धशिक्षितों एवं नवसाक्षरों को लाभान्वित करना है तो इस प्रकार के उपाय करनेहोंगे जिनसे सरल भाषा और शैली में लिखी सामान्य विषय और अभिरूचि की पुस्तकों को उनके द्वार तक पहुंचाया जा सके। समाज कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों में लीन सभी सुव्यवस्थित पुस्तकालयों तथा ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को इस सेवा के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता—पुस्तक, साईकिल, रिक्शा, बक्सा, थैला आदि के रूप में दी जाती है। सहायता प्राप्त संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवहन के सस्ते साधन अथवा निःशुल्क स्वयं सेवकों के द्वारा एक वितरण केन्द्र से दूसरे वितरण केन्द्र तक पुस्तकों का आदान-प्रदान करते रहेंगे। जिन गांवों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं हो पायी है, वहां पुस्तक वितरण केन्द्र स्थापित किया जाना है। यदि गांवों में इस प्रकार की पुस्तकालय सेवा पहुंच गयी हो तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में संलग्न वेतन प्राप्त कार्यकत्ताओं एवं संगठनों के सहयोग से प्रत्येक द्वार पर पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अन्तर्गत साधारणतः राज्य सरकार की संस्तुति पर किसी संस्था अथवा स्वैच्छिक संगठन को समतुल्य आधार पर सहायता दी जाती है। परन्तु यह परियोजना अनेक ऐसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों द्वारा भी चलायी जाती है जिन्हें प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है।

वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने विश्वभारती बिश्वविद्यालय को 25 केन्द्रों में पुस्तकालय गतिविधियों के प्रसार के लिए सहायता प्रदान की। यह योजना गाँव तथा सुदूरवर्त्ती इलाकों में रहने वाले सुविधाहीन वर्ग के लोगों के लिए बनायी गयी है, जहाँ नियमित एवं सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा पहुंचना कठिन है।

अध्याय-तीन

वित्तीय सहायता

पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता निम्नलिखित तीन योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती हैं—

1. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए सहायता।
2. पुस्तकों के संचयन के लिए सहायता।
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शिक्षा संस्थानों/संगठनों को सहायता।

1. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता :

इस परियोजना का लक्ष्य पुस्तकालयाध्यक्षों को पुनः अनुकूल प्रशिक्षण देना तथा लोगों में पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाना और उनमें अध्ययन रुचि पैदा करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के पुस्तकालय विभाग, निदेशालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय संघ तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं के लिए सहायता उपलब्ध हैं। परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संस्तुत प्राप्त कुछ संस्थाओं एवं संगठनों को सहायता

प्रदान की गयी। ऐसे लाभान्वित पुस्तकालय हैं (क) आन्ध्रप्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय संगठन 10,000/ रु० (ख) बंगाल पुस्तकालय संगठन 5,000/रु० (ग) केरल विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं इन्फारमेशन सांइस 10,000/ रु० (घ) उत्तरप्रदेश पुस्तकालय संगठन 10,000/ रु० (च) कलकत्ता पुस्तक मेला 30,000/ रु० कुल 65,000/ रु० की सहायता प्रदान की गयी।

2. **पुस्तक संचयन हेतु सहायता :**

तुलनात्मक दृष्टि से यह एक नयी योजना है जो 1979-80 में अपनायी गयी। योजना का लक्ष्य जिला स्तर से नीचे के लघु पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गयी पुस्तकों की बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए सहायता देना है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संस्तुति प्राप्त पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा एक वर्ष में दो आलमारियां/रैकें खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने महाराष्ट्र, मिजोरम एवं उड़ीसा राज्यों के 125 पुस्तकालयों को सहायता की स्वीकृति दी।

3. **सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शिक्षा संस्थानों/संगठनों को सहायता :**

यह योजना वित्तीय सहायता योजना है। इसके पूर्व यह योजना भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी। इसे आलोच्य वर्ष में प्रतिष्ठान को स्थानान्तरित किया गया। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शिक्षा संस्थानों/संगठनों को पुस्तकों, साज-सज्जा के सामान एवं आसबाब के खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत 1986-87 के वित्तीय

वर्ष में प्रतिष्ठान ने देश भर में 142 संगठनों के लिए 34.11 लाख रु० की अनुदान राशि स्वीकार की। सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने उस योजना को छोड़ दिया जिसके अन्तर्गत दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी एवं उनके रख-रखाव के लिए सहायता प्रदान की जाती थी, क्योंकि संस्कृति विभाग ने उसी तरह की एक दूसरी योजना को लागू किया।

लेकिन प्रतिष्ठान ने अपने पूर्व वचनबद्धता के निर्वाह के लिए इस नयी योजना के अन्तर्गत कुछ राशि प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान पाँच पुस्तकालयों को 17 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रतिष्ठान ने 458 पुस्तकालयों को अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया एवं योजना पर 9.08 लाख रुपये खर्च किये।

अध्याय-चार

प्रोन्नतिकारक गतिविधियाँ

1. **राजा राममोहन राय के 214 वीं जन्म जयन्ती समारोह तथा प्रतिष्ठान के 14 वें स्थापना दिवस का आयोजन :**

प्रतिष्ठान ने राजा राममोहन राय का 214 वां जन्म दिवस समारोह तथा प्रतिष्ठान का 14 वां स्थापना दिवस समारोह 24 मई 1986 को मनाया। इस अवसर पर प्रो० रवीन्द्र कुमार, निदेशक, नेहरू मेमोरियल म्युजियम एवं लाईब्रेरी, नयी दिल्ली ने "राजा राममोहन राय—एक ऐतिहासिक परिपेक्ष्य" पर अपना व्याख्यान दिया। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रो० बी० पी० चट्टोपाध्याय ने समारोह की अध्यक्षता की।

2. **राज्य पुस्तकालय समिति के सयोजकों का पंचम सम्मेलन :**

प्रतिष्ठान ने 6-7 फरवरी 1987 को राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजकों के पांचवे सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय—"प्रतिष्ठान की सहायता योजना का कार्यान्वयन-समस्याएं एवं निदान" था। इस सम्मेलन में 16 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के 18 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिष्ठान के निदेशक डा० बी० पी० बरुआ ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रतिष्ठान के क्रिया-कलापों

में वृद्धि, इसके स्रोतों के संवर्धन, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित पुस्तकालयों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी और सातवीं योजना के दौरान कई नयी योजनाओं को लागू करने की संकल्पता आदि के कारण प्रतिष्ठान की सहायता योजनाओं के कार्यान्वियन में आ रही समस्याओं एवं अवरोधक तत्वों की जांच-पड़ताल करने और उनका उचित निदान ढूंढ़ने की आवश्यकता है जिससे प्रतिष्ठान के सम्पूर्ण कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने के लिए उचित दिशा-निर्देश मिल सके। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने प्रतिष्ठान के उद्देश्य को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिए विकास सम्बन्धी योजना के कार्यान्वियन की आवश्यकता पर बल दिया।

इस मुख्य विषय के अतिरिक्त सम्मेलन में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की वस्तुस्थिति, सातवीं योजना अवधि के अन्तर्गत गृहीत नयी योजनाओं एवं देश में पुस्तकालय-सेवा सम्बन्धी आंकड़े जुटाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

3. **प्रकाशन कार्यक्रम :**

देश के विभिन्न भागों में अपनी गतिविधियों एवं पुस्तकालय सेवाओं की सूचना के प्रसार के लिए प्रतिष्ठान एक त्रैमासिक समाचार पत्र निकालता है। सितम्बर 1986 में प्रतिष्ठान ने भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशिका निकाला जिसका सम्पादन डॉ० बी० पी० बरुआ तथा प्रकाशन नया प्रकाश, कलकत्ता द्वारा किया गया। इस निर्देशिका में प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की सूची तथा इसके साथ-साथ प्रत्येक राज्य तथा संघशासित क्षेत्र के सार्वजनिक पुस्तकालयों का संक्षिप्त विवरण एवं मूलभूत आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं। इसके अतिरिक्त राजा राममोहन राय (प्रथम शृंखला) पर प्रतिष्ठान के समस्त व्याख्यानों के प्रकाशन हेतु ओरियेन्ट लौंगमैन लिमिटेड से रायलटी आधार पर करार किया गया है।

4. **प्रचालन खर्च :**

अपनी योजना के समुचित संचालन हेतु प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति ने राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र के हक में पुस्तक वितरण खर्च के स्थान पर समस्त पुस्तकों, साज-सज्जा के सामानों एवं आसबाबों की खरीद पर होने वाले खर्च की 2% राशि प्रचालन खर्च के रूप में प्रदान किये जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

5. **संस्थागत सदस्यता :**

प्रतिष्ठान ने निम्नांकित की संस्थागत सदस्यता जारी रखी : (1) भारतीय पुस्तकालय संघ (आई० एल० ए०) (२) विशेष पुस्तकालयों का भारतीय संघ एवं सूचना केन्द्र (आई० ए० एस० एल० आई० सी०) एवं (3) पुस्तकालय संघों एवं संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ (आई० एफ० एल० ए०)।

6. **प्रतिष्ठान का पुस्तकालय :**

प्रतिष्ठान के कार्यालय में वर्ष 1981-82 के दौरान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान सम्बन्धी एक विशेष पुस्तकालय की स्थापना की गयी। वर्ष के अन्त में इस पुस्तकालय में 401 पुस्तकें थी। पुस्तकालय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान सम्बन्धी दस पत्रिकाएं मंगायी जाती हैं। एवं तीन पत्रिकाओं की पूरक प्रतियां भी प्राप्त की जाती हैं।

अध्याय-पाँच

प्रशासन

1. प्रतिष्ठान :

प्रतिष्ठान में 22 सदस्य सम्मिलित हैं। इसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग भारत सरकार के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते हैं। प्रतिष्ठान की साधारण सभा की बैठक 24 मई 1986 को कलकत्ता में तथा वार्षिक साधारण सभा की बैठक 31 अक्टूबर 1986 को नयी दिल्ली में आयोजित की गयी।

2. प्रशासन समिति :

प्रतिष्ठान के कार्यों का प्रबन्ध एक प्रशासनिक समिति द्वारा किया जाता है। पदेन सदस्यों तथा अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि एवं सदस्य सचिव को मिलाकर इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं। प्रशासनिक समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को देखती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 24 मई 1986, 8 अगस्त 1986, 31 अक्टूबर 1986 एवं 9 फरवरी 1987 आदि तिथियों को इस समिति ने कुल चार बैठकें आयोजित की।

3 राज्य पुस्तकालय योजना समितियां (एस० एल० पी० सी०) राज्य पुस्तकालय समितियां (एस० एल० सी०)

राज्य पुस्तकालय योजना समितियां/राज्य पुस्तकालय समितियां ऐसे प्रधान अभिकरण हैं, जिनसे प्रतिष्ठान राज्यों तथा केन्द्रशासित सरकारों को सहयोग देता है। ये समितियाँ न केवल सम्बन्धित राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के प्रचार तथा विकास के लिए योजना बनाती हैं, वरन् इनसे यह आशा की जाती है कि ये प्रतिष्ठान द्वारा अपनायी गयी सहायता योजनाओं का कार्यान्वियन करेंगी तथा उनका निरीक्षण भी करेंगी। इनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि ये विभिन्न स्तरों पर राज्य पुस्तकालय सेवा के विकास में योगदान देने वाली अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल रखने वाली निकाय के रूप में कार्य करेंगी। एस० एल० पी० सी०/एस० एल० सी० की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होनी चाहिए।

एस० एल० पी० सी०/एस० एल० सी० के कार्य निम्नलिखित हैं—

(क) प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रमों के विशिष्ट सन्दर्भ में अपने राज्य, विशेषकर गैर महानगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा की एक परिदृश्य एवं वार्षिक योजना तैयार करना।

(ख) इस बात का निश्चय करना कि राज्य सरकार के अंशदान का प्रतिष्ठान को भुगतान हो जाए और प्रतिष्ठान से समतुल्य अनुदान ले लिया जाए।

(ग) सहायता प्रस्तावों की जाँच कर उन्हें प्रतिष्ठान को अनुशंसित करना।

(घ) समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार एवं प्रतिष्ठान द्वारा नियत निर्देशों के अनुरूप पुस्तकों का चयन करना।

(च) प्रतिष्ठान द्वारा दी गयी सहायता राशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करना ।

(छ) सम्मेलनों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर जन साधारण में पठन रुचि के विकास का वातावरण तैयार करना ।

(ज) राज्य/केन्द्रशाशित क्षेत्रों में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए अन्य प्रेरक तथा सहायक गतिविधियों को निष्पादित करना । (राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजकों की सूची के लिए परिशिष्ट (III) देखें)

4. अध्यक्ष :

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे ।

अंशकालिक एक सफाई कर्मचारी को छोड़कर प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या 27 रही ।

(प्रतिष्ठान के संघटनात्मक चार्ट के लिए परिशिष्ट 4 देखें)

5. निदेशक :

प्रतिवेदित वर्ष में डा० बी० पी० बरूआ निदेशक तथा पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते रहे ।

6. अन्य अधिकारी और कर्मचारी :

श्री आर० के० खान 30.6.86 तक क्षेत्रिय अधिकारी के पद पर बने रहे । श्री आर० भट्टाचार्य दिसम्बर 1986 से क्षेत्रिय अधिकारी के पद पर

कार्य कर रहे हैं। महालेखापाल कार्यालय, पश्चिम बंगाल के लेखा अधिकारी श्री पी० पालित प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सहायक निदेशक (प्रचार) नियुक्ति निरीक्षण अभिकरण नई दिल्ली ने प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रतिष्ठान के सहायक सचिव के रूप में दिसम्बर 1986 को अपना कार्य-भार संभाला।

7. **हिन्दी शिक्षण योजना :**

प्रतिष्ठान ने राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तथा भारत सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने का कदम उठाया है।

8. **भवन :**

प्रतिष्ठान ने बी-13, ग्रेटर कैलाश, इन्क्लेव-1, नई दिल्ली-110048 में अपना नया अतिथिशाला खोला है। प्रतिष्ठान का उत्तरांचलिक कार्यालय इसी अतिथि-गृह में स्थित है।

9. **निरीक्षण :**

प्रतिष्ठान ने एक निरीक्षण कक्ष का निर्माण किया है, जिसमें एक क्षेत्रीय अधिकारी एवं एक सहायक कार्यरत हैं। कार्यालय के अन्य कार्यों के साथ ही इन्होंने कुछ पुस्तकालयों का संयोगिक प्रतिदेश के रूप में निरीक्षण किया। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 12 पुस्तकालयों का निरीक्षण किया गया।

10. **प्रतिष्ठान को वित्तीय सहायता :**

प्रतिष्ठान को सम्पूर्ण वित्तीय सहायता भारत सरकार देती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 48.82 लाख (11.89 लाख रुपये गैर-योजना के अन्तर्गत और 36.93 लाख रुपये योजना के अन्तर्गत) का

अनुदान भारत सरकार से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान राज्यों तथा केन्द्र शासित सरकारों से भी अंशदान प्राप्त करता है। यह अंशदान प्रतिष्ठान से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समतुल्य सहायता प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। प्रतिवेदित वर्ष में अंशदान की राशि 62.70 लाख रुपये थी। (राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों को दी गई सहायता के विवरण हेतु परिशिष्ट V देखें।

11. लेखा :

वर्ष 1986-87 को लिए प्रतिष्ठान का लेखा परीक्षण निदेशक, लेखा परीक्षण (केन्द्रीय) कलकत्ता ने किया एवं प्रतिष्ठान ने इसे अपनी 24-10-87 को आयोजित बैंठक में अनुमोदित किया। (1986-87 की परीक्षित, लेखा विवरण परिशिष्ट V) में देखें।

अध्याय-छः

(1) **समस्याएं एवं कठिनाइयाँ :**

कार्यक्रमों के निष्पादन में प्रतिष्ठान द्वारा जिन समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके मुख्य रूप से तीन पहलू हैं— (क) कुछ राज्यों द्वारा सहायता का प्रस्ताव देर से प्रस्तुत किया जाना एवं कभी नहीं प्रस्तुत करना। (ख) सातवीं योजना कार्यक्रमों का विलम्ब से निश्चित किया जाना। (ग) कार्यभार की अधिकता तथा (घ) कर्मचारियों का अभाव।

अपने कार्यक्रम के परिपालन के लिए वर्तमान व्यवस्था में प्रतिष्ठान को राज्य सरकारों की कार्य-प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रतिष्ठान द्वारा निष्पादित किया गया कार्य एक ऐसा सम्पूर्ण निष्पादन है, जिसके अन्तर्गत भाग लेने वाले राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के कार्यों की प्रतिछवि भी सम्मिलित होती है। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों के कारण जो इसके नियन्त्रण में नहीं होती, प्रतिष्ठान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के सहायता प्रस्ताव काफी विलम्ब से प्राप्त हुए।

विभिन्न राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के सातवीं योजना कार्यक्रमों को विलम्ब से अन्तिम रूप मिलना इस विलम्ब का मुख्य कारण है। यद्यपि

प्रतिष्ठान ने वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही प्रत्येक राज्य एवं संघशासित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध सहायता की मात्रा इंगित की पर वे अपने अंशदान की राशि को वर्ष के अन्त में निश्चित कर सके। विभाजन की अनिश्चितता के कारण परियोजनाओं के सम्पादन तथा सहायता के प्रस्तावों की तैयारी में विलम्ब हुआ।

कुछ वर्षों से प्रतिष्ठान का कार्य-भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता योजना कार्यक्रम को भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने प्रतिष्ठान को स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष के दौरान नवीन भवन की प्रशासनिक समस्यायें भी उत्पन्न हुई। बकाया देयता एवं निरीक्षण से सम्बन्धित मामले कानिष्पादन उपयुक्त कर्मचारियों के अभाव के कारण सुचारु रूप से नहीं हो सका। पद-सृजन का प्रतिबन्ध वर्ष के दौरान जारी रहा। परन्तु प्रतिष्ठान की सातवीं योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि उपलब्ध हुई। समस्या की जांच एवं उपयुक्त निदान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठान ने कर्मचारी मूल्यांकन समिति का गठन किया।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठान के कार्यों के अध्ययन हेतु भेजे गये अध्ययन दल ने भी कर्मचारियों की आवश्यकता के विषय में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में उनकी सिफारिश को अन्तिम रूप देने की आशा की जाती है।

प्रतिष्ठान के समतुल्य पुस्तक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पुस्तकालय प्राधिकारियों के वितरण की विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के कारण कुछ राज्यों के पुस्तकालयों से पुस्तक प्राप्ति की सामयिक सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है। आन्ध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल सरकारों के साथ ऐसा ही हुआ है।

(2) उपलब्धियां :

विभिन्न प्रशासनिक एवं क्रियात्मक दबावों के बावजूद प्रतिष्ठान देश में पुस्तकालय सेवाओं को विकसित करने में आगे बढ़ा है। अपने प्रतिस्थापन वर्ष 1972 से लेकर मार्च 1987 तक प्रतिष्ठान ने अनुदान एवं अंशदान स्वरूप कुल 719.16 लाख रूपये प्राप्त किये जिसमें से 431.01 लाख रूपये भारत सरकार से तथा शेष राशि 288.15 लाख रू० विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रोंसे प्राप्त हुए।

वर्ष 1986-87 के दौरान दी गई सहायता की राशि 133.35 लाख रूपये तथा पिछले 15 वर्षों के दौरान दी गयी कुल सहायता राशि 605.99 लाख रूपये है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 4387 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की। इस संख्या में बिहार तथा पश्चिम बंगाल की संख्या सम्मिलित नहीं है।

पिछले 15 वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तर वाले पुस्तकालयों को अपनी योजना के अन्तर्गत लिया :

राज्य पुस्तकालय	—	28
जिला पुस्तकालय	—	388
अनुमण्डलीय/ताल्लुक/तहसील पुस्तकालय	—	463
नेहरू युवक केन्द्र	—	173
शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	—	17,331
चल पुस्तकालय एवं ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र	—	880
एन० एस० एस० केन्द्र तथा अन्यान्य	—	173
कुल योग	—	19,436

(1972-73 से लेकर 1986-87 तक योजनान्तर्गत विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों की संख्या के लिए परिशिष्ट VIII देखें)

संक्षेप में प्रतिष्ठान का 15 वां वर्ष उसके लिए विविधता पूर्ण क्रिया-कलापों तथा अर्थपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा। प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त की गयी समस्त अनुदान एवं अंशदान की राशि निर्धारित सीमा से अधिक रही। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि दुगुने से अधिक रही। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान का एक महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि इसनें देश में पुस्तकालयीय-अधिनियम लागू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सिफारिश की। समग्रतः इसने देश में पुस्तकालयीय सेवा के विकास एवं उसके प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण अंशदान दिया है।

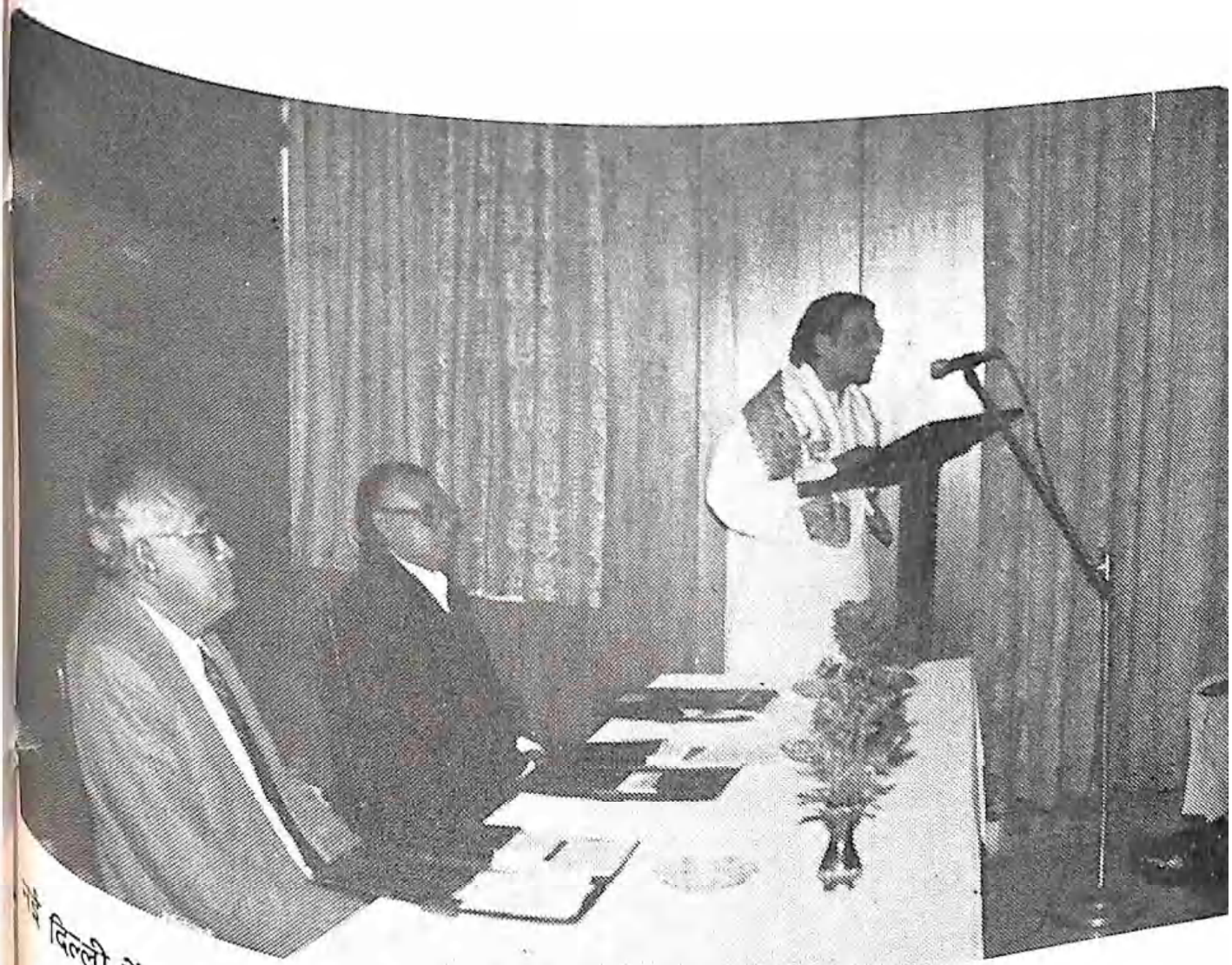

नई दिल्ली में आयोजित राज्य पुस्सकालय समिति के संयोजकों के पांचवें सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्टान के अध्यक्ष प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय।

नई दिल्ली में आयोजित राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजकों के पांचवें सम्मेलन के अवसर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रतिष्ठान की नयी योजनाओं और उसके कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के निदेशक डा० बी० पी० बरूआ ।

राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजकों के पांचवें सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए संस्कृति विभाग, भारत सरकार के तत्कालीन सचिव श्री वाई० एस० दास ।

राज्य पुस्तकालय योजना समिति के पांचवें सम्मेलन के अवसर पर राज्य प्रतिनिधियों के साथ साधन-कार्मिक एंव अन्य भागीदारों का आंशिक दृश्य ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट—I

प्रतिष्ठान की सदस्य-सूची

1. प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय
अध्यक्ष, आर० आर० आर० एल० एफ०
25, पार्क मेन्सन,
पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700 016

2. श्री एम० वर्दराजन,
सचिव,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

3. प्राध्यापक अशीन दासगुप्ता,
निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय,
कलकत्ता ।

4. डॉ० निमाई साधन बोस,
उप-कुलपति, विश्वभारती,
शान्तिनिकेतन ।

5. प्राध्यापक आर० सी० दास
217, केदार गौरी रोड,
भुवनेश्वर-751 002
उड़ीसा ।

6. डॉ एस० आर० के० चोपड़ा,
उप-कुलपति, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरूक्षेत्र-132 119

7. डॉ० सुरजीत चन्द्र सिन्हा,
निदेशक,
समाज विज्ञान अध्ययन केन्द्र,
10, लेक टेरेस,
कलकत्ता-700 029

8. डॉ० सुरेश दलाल,
निदेशक,
एस० एन० डी० टी०-
महिला विश्वविद्यालय,
स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग
पटकार हॉल भवन, छठी मंजील,
1, नथीबाई ठाकेरसी रोड,
बम्बई-400 020

9. श्री बीरेन भट्टाचार्य,
उप-सभापति,
साहित्य अकादेमी,
खरघुली,
गौहाटी, असम-4

10. प्राध्यापक ए० के० जलालुद्दीन,
संयुक्त निदेशक,
एन० सी० ई० आर० टी०,
श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली-110 016

11. प्राध्यापक के० ए० आइजक,
टी० सी० 17-24, जगथी,
त्रिवेन्द्रम-695 014

12. प्राध्यापक रजनीकांत पांचोली,
प्राध्यापक अंग्रेजी एवं विश्वविद्यालय सभासद,
एम० एस० विश्वविद्यालय, बरोदा,
ए-1, पोलिटेकनिक कम्पाउण्ड क्वाटर्स,
बरोदा-390 002

13. श्री जे० डी० गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पुस्तक विकास)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

14. श्रीमती सी० पी० सुजया,
भारत सरकार के संयुक्त सचिव,
महिला और समाज कल्याण मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

15. श्री जयलाल,
लेखा नियन्त्रक,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
कमरा नं०-210,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

16. प्राध्यापक आई० एन० चौधरी,
सचिव, महिला अकादेमी,
रवीन्द्र भवन,
35, फिरोज शाह रोड,
नई दिल्ली-110 001

17. डा० सैयद आसद अली,
निदेशक (कार्यवाहक)
नेशनल बुक ट्रस्ट,
4-5, ग्रीन पार्क,
नई दिल्ली-110 016

18. श्री टी० एस० राजागोपालन,
फ्लैट नं०-115, ब्लाक-बी० ई०,
डी० डी० ए० सेल्फ फिनेन्सिंग स्कीम,
जनकपुरी,
नई दिल्ली-1 0058

19. श्री सुभाष चन्द्र विश्वास,
निदेशक,
केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

20. डॉ० आर० एस० पी० सिंह,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
सिन्हा पुस्तकालय,
पटना, बिहार ।

21. डॉ० बी० पी० बरूआ,
निदेशक,
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कलकत्ता ।

प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची

1. प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय,
अध्यक्ष,
आर० आर० आर० एल० एफ०,
25, पार्क मेन्सन,
पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700 016

2. श्री आर० सी० त्रिपाठी,
भारत सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
संस्कृति विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

3. प्राध्यापक अशीन दासगुप्ता,
निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय,
बेलभेडर, कलकत्ता।

4. श्री जयलाल,
लेखा नियंत्रक,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
कमरां नं०-210, "सी" विंग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

5. प्राध्यापक आर० सी० दास,
217, केदार गौरी रोड,
भुवनेश्वर-751 002
उड़ीसा ।

6. डॉ० एस० आर० के० चोपड़ा,
उप-कुलपति,
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरूक्षेत्र-132 119

7. श्री बीरेन भट्टाचार्य
उपाध्यक्ष,
साहित्य अकादेमी, खारघुली
गौहाटी-781 004

8. श्री टी० एस० राजागोपालन,
फ्लाट नं०-115, ब्लाक-बी० ई०,
डि० डि० ए० सेल्फ फिनानसिंग स्कीम,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058

9. प्राध्यापक के० ए० आईजक,
टी० सी० 17-24, जगाथी,
त्रिवेन्द्रम 695 014

10. डॉ० सुरेश दलाल,
निदेशक,
एम० एन० डी० टी०, महिला विश्वविद्यालय,
स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान
विभाग, पटकार हॉल भवन, 6 वां तल,
1, नथीबाई थाकरसी रोड,
बम्बई-400 020

11. डा० बी० पी० बरूआ,
निदेशक,
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता-700 064

परिशिष्ट-III

राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजकों की सूची

1. **आन्ध्र प्रदेश**

   निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
   हैदराबाद,
   आन्ध्र प्रदेश ।

2. **आसाम**

   निदेशक, पुस्तकालय सेवा,
   आसाम, गौहाटी-781 001

3. **बिहार**

   पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार
   सिन्हा पुस्तकालय रोड,
   पटना, बिहार-800 001

4. **गुजरात**

   पुस्तकालय क्यूरेटर,
   गांधीनगर,
   गुजरात-382 121

5. **हरियाणा**

निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
चण्डीगढ़-160 001

6. **हिमाचल प्रदेश**

मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय,
सोलन, हिमाचल प्रदेश-173 212

7. **जम्मू-कश्मीर**

पुस्तकालय निदेशक,
पुस्तकालय निदेशालय,
शिक्षा विभाग,
जम्मू-कश्मीर सरकार,
नया सचिवालय,
श्रीनगर, जम्मू।

8. **कर्नाटक**

निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
कर्नाटक सरकार,
विश्वेश्वरैया केन्द्र
4 था तल,
डॉ अम्बेडकर विथी,
बंगलोर।

9. **केरल**

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष
त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिवेन्द्रम-695001

10. **महाराष्ट्र**

पुस्तकालय निदेशक
टाउन हॉल, बम्बई,
शहीद भगत सिंह मार्ग,
बम्बई-400023

11. **मध्य प्रदेश**

आयुक्त, जातीय कल्याण विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार,
सतपुरा भवन,
भोपाल ।

12. **मणिपुर**

मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इम्फाल, मणिपुर ।

13. **मेघालय**

जन आदेश निदेशक,
मेघालय,
निदेशालय भवन,
शिलांग,
मेघालय-793001

14. **नागालैण्ड**

निदेशक,
कला एवं संस्कृति,
कोहिमा, नागालैण्ड ।

15. **उड़ीसा**

उप-सचिव,
उड़ीसा सरकार,
पर्यटन, खेल-कूद एवं संस्कृति विभाग,
भुवनेश्वर ।

16. **पंजाब**

सहायक निदेशक (सांस्कृतिक कार्यक्रम)
कार्यालय निदेशक सार्वजनिक अनुदेश
(महाविद्यालय) पंजाब,
एस० सी० ओ० संख्या 66-67,
सेक्टर-17 बी,
चण्डीगढ़-160017

17. **राजस्थान**

उपाध्यक्ष (समाज शिक्षा),
बीकानेर,
राजस्थान ।

18. **सिक्किम**

संयुक्त सचिव (सिक्किम सरकार),
गंगटोक,
सिक्किम-737101

19. **तमिलनाडु**

निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
एग्मोर,
मद्रास-600008

20. त्रिपुरा

वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष,
वीरचन्द्र राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
अगरतला,
त्रिपुरा–799001

21. **उत्तर प्रदेश**

विशेषाधिकारी (पुस्तकालय),
उत्तर प्रदेश सरकार,
38, दरबारी लाल शर्मा मार्ग,
सचिवालय, विधान भवन,
लखनऊ ।

22. **पश्चिम बंगाल**

निदेशक (पुस्तकालय सेवा),
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स बिल्डिंग,
कलकत्ता-700001

23. **अण्डमान निकोबार द्वीप समूह**

शिक्षा-निदेशक,
अण्डमान-निकोबार प्रशासन,
पोर्टब्लेयर,
अण्डमान ।

24. **अरूणांचल प्रदेश**

उप मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष
अरूणांचल प्रदेश सरकार,
इटानगर-791111

25. **चण्डीगढ़**

पुस्तकालयाध्यक्ष,
टी० एस० राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
सेक्टर-17,
चण्डीगढ़ ।

26. **दादरा एवं नगर हवेली**

शिक्षा निदेशक,
दादरा एवं नगर हवेली,
सिलवासा ।

27. **दिल्ली**

शिक्षा निदेशक,
दिल्ली प्रशासन,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली ।

28 **गोवा, दमन एवं द्वीव**

क्यूरेटर,
गोवा सरकार,
केन्द्रीय पुस्तकालय, पणजी,
गोवा-403001

29. लक्षद्वीप

समाज कल्याण अधिकारी,
संघ राज्य प्रशासन, लक्षद्वीप,
समाज कल्याण एवं संस्कृति विभाग,
कारवती वाया एच० पी० ओ०,
कालीकट-67355

30. मिजोरम

उप-निदेशक, शिक्षा विभाग,
कला एवं संस्कृति,
मिजोरम सरकार,
एजोल, मिजोरम।

31. पाण्डिचेरी

शिक्षा निदेशक,
पाण्डिचेरी प्रशासन,
पाण्डिचेरी-605001

संगठन चार्ट

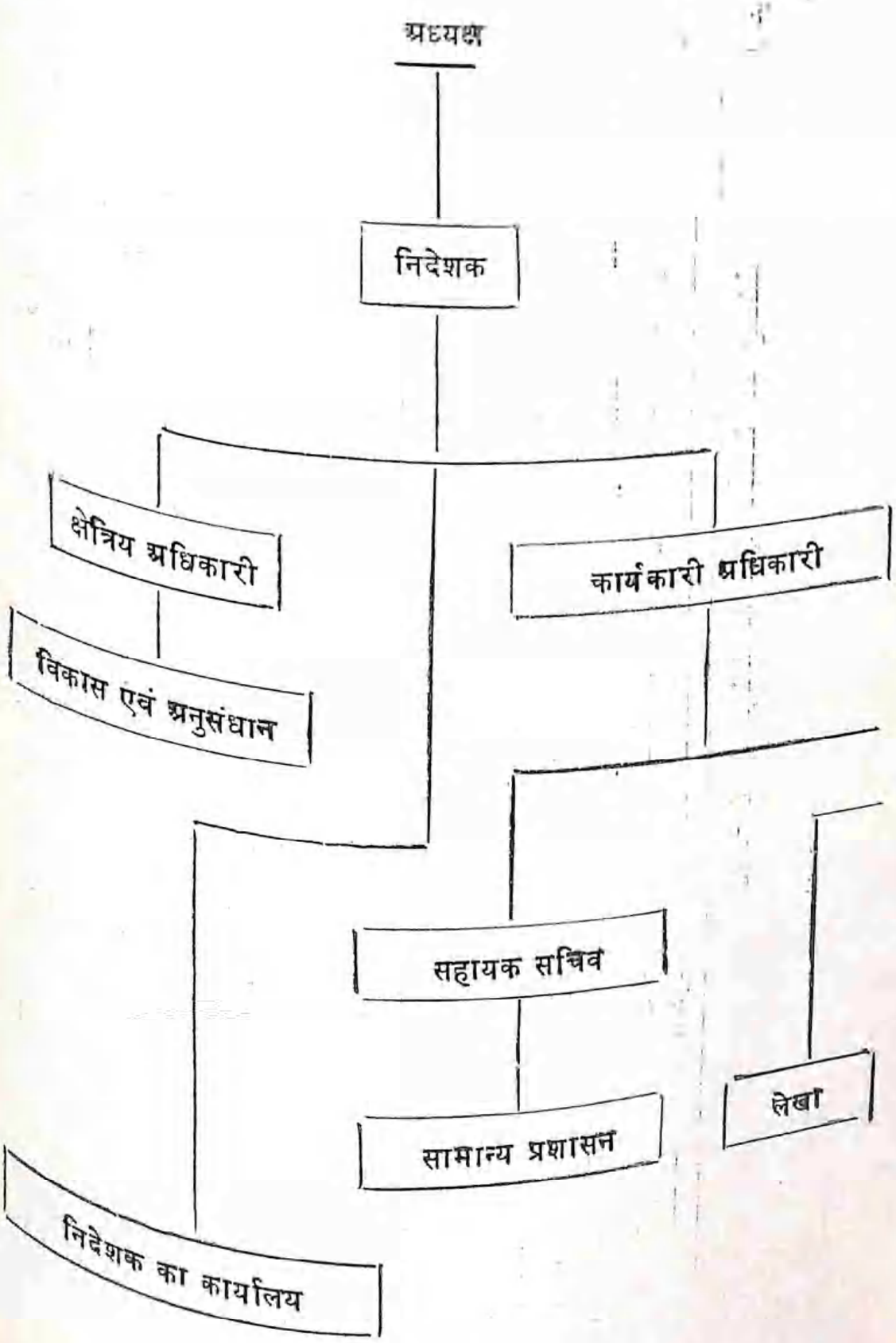
अध्यक्ष
निदेशक
क्षेत्रिय अधिकारी
कार्यकारी अधिकारी
विकास एवं अनुसंधान
सहायक सचिव
लेखा
सामान्य प्रशासन
निदेशक का कार्यालय

परिशिष्ट-V

(अंक हजार में)

1986-87 के दौरान दी गयी सहायता का विवरण

राज्य का नाम	प्रारम्भिक शेष	अंशदान प्राप्त	समतुल्य सहायता	कुल उपलब्ध निधि	दी गयी सहायता	बकाया यदि हो	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	(—) 156	1000	1000	1844	10	1834	
आसाम	206	50	50	306	196	110	
बिहार	436	—	—	436	15	421	
गुजरात	396	310	310	1016	538	478	
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	
हिमांचल प्रदेश	—	800	800	1600	969	631	
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—	
कर्नाटक	544	400	400	1344	548	796	
केरल	516	150	150	816	122	694	
मध्यप्रदेश	78	500	612	1190	917	273	
महाराष्ट्र	497	300	300	1097	72	1025	
मणिपुर	—	—	—	—	1	(—) 1	
मेघालय	—	25	25	50	—	50	
नागालैंड	108	50	50	208	56	152	
उड़ीसा	(—) 207	250	250	293	845	(—) 552	

पंजाब	88	200	200	488	359	129
राजस्थान	106	100	100	306	664	(—) 358
सिक्कम	14	—	—	14	—	14
तमिलनाडु	1701	400	400	2501	1411	1083
त्रिपुरा	117	140	140	397	196	201
उत्तर प्रदेश	419	650	650	1719	533	1186
पश्चिम बंगाल	(—) 639	800	800	961	94	867
अण्डमान निकोबार	10	—	—	10	2	8
अरुणांचल प्रदेश	53	10	10	73	43	30
चण्डीगढ़	100	50	50	200	187	13
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमन एवं दीव	44	—	—	44	34	10
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	5	60	60	125	120	5
पाण्डीचेरी	85	25	25	135	76	59
कुल	4521	6270	6382	17173	8015	9158

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

1.4.86 से 31.3.87 तक की अवधि का आय एवं व्यय लेखा

आय

	रु० पै०	रु० पै०
1. प्रारम्भिक शेष :		
हाथ रोकड़	167.57	
बैंक रोकड़	51,64,135.11	51,64,302.68
स्थायी अग्रिम (पेशगी दिया हुआ)		1,000.00
11. राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदान :		
आन्ध्र प्रदेश	10,00,000.00	
असम	50,000.00	
अरूणांचल प्रदेश	10,000.00	
चण्डीगढ़	50,000.00	
गुजरात	3,10,000.00	
हिमाचल प्रदेश	8,00,000.00	
कर्नाटक	4,00,000.00	
केरल	1,50,000.00	
मध्य प्रदेश	5,00,000.00	
महाराष्ट्र	3,00,000.00	

व्यय

	रु० पै०	रु० पै०
1. प्रशासन :		
कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता	5,72,421.30	
आयकर जमा	4,048.00	
	5,68,373.30	
व्यवसायिक कर जमा	3,944.00	
		5,64,429.30
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता		69,623.90
3. कर्मचारियों का चिकित्सा एवं अन्य भत्ता		19,798.00
4. प्रतिष्ठान के प्रशासनिक समिति की बैठकों से सम्बन्धित गैर कार्यालय सदस्यों का यात्रा भत्ता		1,08,764.80
5. अन्य शुल्क		2,43,149.19
6. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान		31,357.00
7. कर्मचारी वाहन के रख-रखाव		40,096.13

आय

	रु० पै०	रु० पै०
मेघालय	25,000.00	
मिजोरम	60,000.00	
नागालैण्ड	50,000.00	
उड़ीसा	2,50,000.00	
पंजाब	2,00,000.00	
पंडिचेरी	25,000.00	
राजस्थान	1,00,000.00	
तमिल नाडु	4,00,000.00	
त्रिपुरा	1,40,000.00	
उत्तर-प्रदेश	6,50,000.00	
पश्चिम बंगाल	8,00,000.00	
		62,70,000.00
III. केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान :		
गैर-योजना	11,89,000.00	
योजना	36,93,000.00	
		48,82,000.00
		1,63,17,302.68
1. विविध प्राप्तियाँ :		
1. बैंक ब्याज	2,79,800.76	
2. यात्रा भत्ता के वापसी [कर्मचारी]	516.20	

व्यय

	रु० पै०	रु० पै०
8. ब्याज सहित भविष्य निधि को प्रतिष्ठान का अंशदान		3,534.96
9. भविष्य निधि पर ब्याज		22,783.00
10. कर्मचारी कल्याण		1,099.65
11. लेखा परीक्षा शुल्क		—
12. विभागीय केन्टीन	23,824.80	
व्यवसायिक कर जमा	96 00	23,728.80
13. अग्रिम :		
I. त्योहार		9,000.00
II. बाढ़		9,500.00
III. साईकिल		1,200.00
IV. पंखा		—
14. आयकर जमा		4,048.00
15. व्यवसायिक कर जमा		3,944.00
16. कैनटिन कर्मचारी के व्यवसायिक कर जमा		96.00
17. लाभांश का भुगतान		20,057.40
18. सुरक्षा जमा की वापसी		5,000.00
19 दिल्ली अतिथिशाला के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते		6,429 00
20. दिल्ली अतिथिशाला भवन का किराया		36,330.00

आय

	रु० पै०	रु० पै०
3. अवकाश वेतन की वापसी	667.10	
4. सुरक्षा जमा	1,800.00	
5. विक्रय वृद्धि	270.00	
6. कर्मचारी वाहन का निजी उपयोग	502.10	
7. स्वत्त शुल्क	3,852.50	
8. यात्रा भत्ता की वापसी [कर्मचारीगण]	322.00	
9. अन्य प्राप्तियां	63.90	
		2,87,794.56
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि लेखा :		
प्रारम्भिक शेष :		
हाथ रोकड़	—	
बैंक रोकड़	2,31,763.00	2,31,763.00
[खर्च सम्मिलित]		
II. अंशदान आदि :		
I. कर्मचारी अभिदान	5,002.00	
II. अग्रिम की वापसी	—	

व्यय

	रु० पै०	रु० पै०
21. दिल्ली अतिथिशाला के भू-स्वामी को जमा		51,000.00
22. दिल्ली अतिथिशाला के लिए अन्य शुल्क		14,269.82
23. दिल्ली अतिथिशाला के लिए डाक-तार विभाग को जमा		8,000.00
II. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार [अविच्छिन्न योजनाएं]		
1. पठनीय पुस्तकों एवं दृष्टिक सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता :		
i. जिला एवं उपमण्डलीय पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण		7,30,955.97
ii. ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता		68,31,385.06
iii. केन्द्र पोषित पुस्तकालयों को सहायता		82,007.71
IV. पुस्तकों के केन्द्रीय चयन द्वारा राज्य एवं पुस्तकालयों को सहायता		20,98,461.99
2. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र तथा चल पुस्तकालयों के विकास हेतु सहायता		3,41,354.47

आय	रु०	पै०	रु०	पै०
III. अंशदायी भविष्य निधि पर प्रतिष्ठान का अंशदान	898.00			
IV. ब्याज के भुगतान में प्रतिष्ठान का अंशदान	2,636.96			
V. बैंक से प्राप्त ब्याज [बचत खाता]	3,005 04		11,542.00	
VI. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का जी० पी० एफ० खाता :				
1. प्रारम्भिक शेष :				
हाथ रोकड़	—			
बैंक रोकड़	72,973.00		72,973.00	
II. अभिदान आदि :				
I. कर्मचारियों का अभिदान	52,584.00			
II. अग्रिम की वापसी	15,057.00			
III. ब्याज का भुगतान	22,783.00			
IV. बैंक से प्राप्त ब्याज	3,093.00		93,517.00	

व्यय	रु०	पै०	रु०	पै०
3. पुराने तथा भलीभांति व्यवस्थित पुस्तकालयों को प्रक्रिया सूचीकरण तथा वर्गीकरण सहायता तथा अप्राप्त पुस्तकों और दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों की जिल्दबन्दी तथा परिरक्षण के लिएसहायता	16,999.70			
4. पुस्तक संचयन हेतु पुस्तकालयों को सहायता	1,13,435.00			
5. संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता	65,000.00			
6. सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	30,55,300.00			
			1,33,34,899.90	

आय			व्यय			
				रु०	पै०	रु०	पै०
			III. अन्य प्रोन्नति क्रियाएं :				
			1 बैठक	93,513.80			
			2. विशेष पुस्तकालय	6,145.25			
			3. प्रकाशन	12,361.78			
						1,12,020.83	
			IV. पूँजीगत खर्च				
			1. उपस्कर एवं आसबाव	3,76,109.30			
			2. दिल्ली अतिथिशाला के लिए उपस्कर एवं आसबाव	69,412.57			
			3. कार्यालय भवन का नि०	16,912.54			
			4. कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अग्रिम	13,00,000.00		17,62,434.41	
			V. अन्त शेष :				
			1. हाथ रोकड़	1,758.05			
			2. बैंक रोकड़	95,545.10		97,303.15	
			3. स्थायी अग्रिम [अग्रधन]			1.000.00	
						1,66,05,097.24	
			VI. रा० रा० रा० प्र० (कर्मचारी) सी. पी. एफ. खाता				
			1. कर्मचारियों को अग्रिम	—		—	

आय		व्यय			
			रु०	पै०	रु०	पै०
		2. स्थायी व्यवस्थापन के लिए अग्रिम	—		—	
		3. अन्त शेष :				
		हाथ रोकड़	—		—	
		बैंक रोकड़ [विनियोग सहित]	2,43,305.00		2,43,305.00	
		VII. प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का साधारण भविष्य निधि :				
		1. कर्मचारियों को अग्रिम	28,000.00			
		2. स्थायी व्यवस्थापन के लिए अग्रिम	—		28,000.00	
		3. अंत शेष :				
		हाथ रोकड़	—		—	
		बैंक रोकड़	1,38,490.00		1,38,490.00	
	1,70,14,892.24				1,70,14,892.24	

[ए० के० बैनर्जी]
लेखा अधिकारी

[आर० भट्टाचार्य]
क्षेत्रीय अधिकारी

[बी० पी० बल्ला]
निदेशक

31.03.87 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय-व्यय का लेखा

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. प्रशासन :				
1. कर्मचारियों का बेतन एवं भत्ता	5,84,422.50			
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	69,107.70			
3. कर्मचारियों का चिकित्सा एवं अन्य भत्ता	19,798.00			
4. प्रतिष्ठान एवं प्रशासनिक समिति के गैर कार्यालयीन सदस्यों का यात्रा भत्ता	1,08,442.80			
5. अन्य शुल्क	2,43,965.19			
6 अवकाश वेतन एवं पेंसन अंशदान	31,357.00			
7. कर्मचारी बाहन के रख-रखाव	40,096.13			
8. अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिष्ठान का अंशदान	898.00			
9. साधारण भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान	22,783.00			

आय

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. सरकारों से प्राप्त अंशदान :				
1. राज्य सरकारों से			62,70,000.00	
2. केन्द्र सरकार से पूंजीगत खर्च के लिए	48,82,000.00			
खर्च का घटाव (पूंजीगत)	17,63,328.79			
			31,18,671.21	
			93,88,671.21	
II फुटकर आय :				
1. साईकिल अग्रिम पर ब्याज			96.30	
2. पंखा अग्रिम पर ब्याज			26.00	
3. बिक्रय बढ़ने से			270.00	
4 कर्मचारी बाहन के व्यक्तिगत उपयोग से			502.10	
5. स्वत्व शुल्क			3,852.50	

व्यय	रु०	पै०	रु०	पै०
10. अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान	2,636.96			
11. कर्मचारी कल्याण	1,099 65			
12. विभागीय जलपान गृह	23,824 80			
13. बोनस (लाभांश) का भुगतान	20,057.40			
14. हानि तीन पुराने ढंकण मशीनों को नया में परिवर्तित करने पर	5,250 87			
15. दिल्ली अतिथिशाला के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते पर खर्च	6,729.00			
16. दिल्ली अतिथिशाला का किराया	51,000.00			
17. दिल्ली अतिथिशाला के अन्य खर्च	14,289 82			

आय	रु०	पै०	रु०	पै०
III. बैंक से प्राप्त ब्याज			2,79,800.76	
IV. दिल्ली अतिथिशाला के कर्मचारियों से मरम्मत शुल्क की वसूली			300.00	
V. आय से अधिक व्यय			48,40,827.45	

व्यय				आय			
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
II. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार : (जारी योजना)								
पुस्तक क्रय एवं वितरण के माध्यम से (जिला, ग्रामीण, केन्द्रीय, चयन एवं केन्द्रपोषित योजनाओं) पुस्तकालय को सहायता, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की निकासी को घटाए	97,42,810.73							
	5,88,805.03							
	91,54,005.70							
वर्ष के दौरान बकाया देयताओं को जोड़े	4,16,700.95							
			95,70,696.65					
पुराने तथा भली-भांति व्यवस्थित पुस्तकालयों को प्रक्रिया) सूचीकरण, तथा वर्गीकरण)								
सहायता तथा अप्राप्य पुस्तकों और दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों की जिल्दबन्दी तथा परीक्षण के लिए सहायता			16,999.70					

व्यय				आय			
	रु०	पै०	रु० पै०		रु०	पै०	रु० पै०
पुस्तकालयों को पुस्तक संचयन हेतु सहायता			1,13,435.00				
संगोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता ;			65,000.00				
सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता			30,55,300.0				
ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय-सेवा के विकास के लिए सहायता			3,41,354.47				
III. अन्य प्रोन्नोतिक क्रियायें :							
1. बैठकें	93,449.90						
2. प्रकाशन	12,361.78						
			1,05,811.68				
कुल योग			1'45,14,346.32	कुल योग			1,45,14,346.32

ह० अस्पष्ट
ए० के० बैनर्जी
लेखा अधिकारी

ह० अस्पष्ट
आर० भट्टाचार्य
क्षेत्रीय अधिकारी

ह० अस्पष्ट
बी० पी० बरूआ
निदेशक

31.3.87 तक का तुलना-पत्र

देयताए	रु०	पै०	रु०	पै०
I. पूंजीगत निधि :				
पिछले लेखा अनुसार	74,72,388.18			
आय से अधिक व्यय घटाएं	48,40,827.45			
	26,31,560.73			
पूंजीगत निधि जोड़े	17,63,328 79		43,94,889.52	
II. बकाया देयताएं :				
पिछले लेखानुसार	8,35,769.55			
वर्ष के दौरान वापस की गयी राशि घटाएं	5,88.805.03			
	2,46,954.52			
वर्ष के दौरान बकाया देयता को जोड़े	4,16.700.95		6,63,655.47	
III. अंशदायी भविष्य निधि				
अंशदान प्राप्त हुए, पर समायोजन नहीं हुए (पिछले लेखानुसार)			1,359.00	

परिसम्पत्तियां	रु०	पै०	रु०	पै०
I. उपस्कर एवं आसबाब :				
पिछले लेखानुसार	3.31.516 89			
वर्ष के दौरान जोड़े	4,07,224.30			
	7,38,741 19			
तीन पुराने टाइपराइटर के विनिमय में हुई हानि को घटाएं	5,250 87		7,33,490.32	
II. भूमि एवं भवन :				
भूमि—				
पिछले लेखानुसार	80,768.45			
पिछले बर्ष के दौरान जोड़े	—		80,768 45	
भवन—				
पिछले लेखानुसार	1,19,451.84			
वर्ष के दौरान जोड़े	16,912.54		1,36,364.38	

देयताएँ	रु० पै०	रु० पै०
IV. राजसत्ता अग्रिम (पिछले लेखानुसार)		100.00
V. सुरक्षा जमा :		
पिछले लेखानुसार	5,500.00	
वर्ष के दौरान जोड़े	1,800.00	
	7,300.00	
वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि घटायें	5,000 00	2,300.00
VI. प्रतिष्ठान के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि खाता :		
पिछले लेखानुसार	2,31,763.00	
वर्ष के दौरान जोड़े	11,542.00	
	2,43,305.00	2,43,305.00
वर्ष के दौरान आहरित घटाएं		—
		1,66,490.00

परिसम्पत्तियां	रु० पै०	रु० पै०
III. कर्मचारी वाहन :		
पिछले लेखानुसार	1,16,886.61	
वर्ष के दौरान जोड़े	—	1,16,886.61
IV विशेष पुस्तकालय :		
पिछले लेखानुसार	47,265.71	
वर्ष के दौरान जोड़े	7,494.20	54,759.91
V. जमा (डाक एवं तार विभाग :		
पिछले लेखानुसार	16,200.00	
वर्ष के दौरान संयोजित की गयी राशि घटायें	816.00	15,384.00
दिल्ली अतिथिशाला :		
अ) उपस्कर एवं आसवाब		
पिछले लेखानुसार	—	
वर्ष के दौरान जोड़े	69,412.57	
		69,412.57
(ब) भूपति (भवन का किराया)		
पिछले लेखानुसार	—	
वर्ष के दौरान जोड़े	51,000.00	
	51,000.00	
वर्ष के दौरान संयोजित की गई राशि को घटाएं	14,670.00	36,330.00

देयताए	रु०	पै०	रु०	पै०
VII. **राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कर्मचारी साधारण भविष्य निधि खाता :**				
पिछले लेखानुसार	72,973.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	93,517.00			
	1,66,490.00			
वर्ष के दौरान निर्गत की गयी राशि को घटाएं	28,000.00		1,38,490.00	

परिसम्पत्तियां	रु०	पै०	रु०	पै०
(स) जमा (डाक व तार विभाग)				
पिछले लेखानुसार	—			
वर्ष के दौरान जोड़े	8,000.00		8,000.00	
VII. **अग्रिम राशि (त्योहार) :**				
पिछले लेखानुसार	5,520.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	9,200 00			
	14,720.00			
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि को घटाएं	10,120.00		4,600.00	
साईकिल :				
पिछले लेखानुसार	1,320 00			
वर्ष के दौरान जोड़े	1,200.00			
	2,520 00			
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि को घटायें	1,144.00		1,376.00	
पंखा :				
पिछले लेखानुसार	560.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	—			
	560.00			
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि घटायें	560 00		—	

देयताएँ		परिसम्पत्तियां			
		रु०	पै०	रु०	पै०
(बाढ़) :					
पिछले लेखानुसार		—			
वर्ष के दौरान जोड़े		9,500.00			
		9,500.00			
वर्ष के दौरान लौटाई गयी राशि को घटायें		722.00		8,778.00	
				12,66,150.24	
VIII. अग्रिम :					
अ) 1. कार्यालय भवन के निर्माण हेतु नगर उन्नयन विभाग को अग्रिम :					
पिछले लेखानुसार	23,97,616.30				
वर्ष के दौरान जोड़े	3,00,000.00			26,97,616.30	
2. कार्यालय भवन के निर्माण हेतु एन० बी० सी० सी० को अग्रिम :					
पिछले लेखानुसार		—			
वर्ष के दौरान जोड़े	10,00,000.00				
ब) जनित्र जेनेरेटर) क्रय के लिए अग्रिम				10,00,000.00	
पिछले लेखानुसार		31,115.00			
वर्ष के दौरान संयोजित की गई राशि को घटायें		31,115.00		—	

देयताएं			परिसम्पत्तियां		
				रु०	पै०
स)	विशेष पुस्तकालय के लिए युनेस्को प्रकाशन के खरीद के लिए अग्रिम :	रु० पै०			
	पिछले लेखानुसार	1,583.25			
	वर्ष के दौरान संयोजित राशि को घटायें	1,348.95		234.30	
IX.	**प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का अंशदायी भविष्य निधि खाता :**				
	अंतशेष :				
	हाथ रोकड़	—			
	बैंक रोकड़ (विनियोग सहित)	2,43,305.00		2,43,305.00	
X.	**प्रतिष्ठान के कर्मचारी साधारण भविष्य निधि खाता :**				
	अंतशेष :				
	हाथ रोकड़	—			
	बैंक रोकड़	1,38,490.00		1,38,490.00	
XI.	**अंतशेष :**				
	हाथ रोकड़	1,758.05			
	बैंक रोकड़	95,545.10			
			स्थायी अग्रिम (अग्रधन)		97,303.15
					1,000.00
	कुल योग	54,44,098.99	कुल योग		54,44,098.99

ह० अस्पष्ट

ह० अस्पष्ट

ह० अस्पष्ट

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता के वर्ष 1986-87 का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

भूमिका :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् 1972 में की गयी। यह एक स्वायत्त निकाय है तथा पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को सहयोग एवं बढ़ावा देना है तथा मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पुस्तकालय सेवा प्रदान कर उनमें पठन- अभिरुचि पैदा करना है। यह प्रतिष्ठान पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है तथा देश के पुस्तकालयों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायताएं प्रदान करता है।

(2) **अनुदान एवं अंशदान :**

वर्ष 1986-87 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अंशदान के उपयोग का विवरण निम्नांकित है :

			(राशि लाख रुपये में)
(क)	1 अप्रैल 1986-87 को प्रारम्भिक अतिशेष		51.64
(ख)	वर्ष 1986-87 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		48.82
	(i) गैरयोजना	11.89	
	(ii) योजना	36.93	

(ग)	वर्ष 1986-87 के दौरान प्राप्त किए गये अंशदान		
	(i) 17 राज्यों से	61.25	
	(ii) 4 केन्द्र शासित क्षेत्रों से	1.45	62.70
(घ)	विविध प्राप्ति (किन्तु रुपये 516.20 कर्मचारी-यात्रा-भत्ताके रूप में वापसी, रुपये 667.10 अवकाश वेतन अंशदान के रूप में वापसी एवं 322,00 सदस्यों के यात्रा-भत्ता के रूप में वापसी को छोड़कर। ये राशियां व्यय की वसूली के रूप में थीं)		2.86
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		166.02
	1986-87 वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि को घटाने से		165.05
	31 मार्च 1987 को अंतशेष		0 97

31 मार्च 1987 तक बकाया देयता की राशि रुपये 6,64 लाख थी किन्तु उस तिथि तक रुपये 0.97 लाख मात्र 'अक्षय-बचत' के रूप में उपलब्ध थे। तथापि प्रतिष्ठान ने स्पष्ट किया (सितम्बर 1987) कि 31 मार्च 1987 तक उपलब्ध अन्त शेष कि राशि रुपये 0.97 लाख थी, जिसमें से रुपये 89,819 राज्य सरकारों के अक्षय अंशदान के रूप में तथा रुपये 7181 गैर-योजना निधि के रूप में उपलब्ध होते हुए भी ये राशियां सहायता योजना के अन्तर्गत बकाया की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं थी जिसकी पूर्ति योजना बजट के अन्तर्गत होना था।

प्रतिष्ठान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदानों के अक्षय शेष के पृथकीकरण में असमर्थ रहा क्योंकि इस तरह के अनुदानों एवं अंशदानों का अलग से लेखा नहीं रखा गया।

2.2 प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दी गयी आर्थिक सहायता की राशि सामान्यत: समतुल्य आधार पर समान अनुपात में थी। तथा प्रत्येक वर्ष समतुल्य आधार पर दी जाने वाली इस सहायता राशि की सीमा 2 लाख रुपये थी। प्रतिष्ठान में स्पष्ट किया (सितम्बर, 1987) कि राज्यों के आकार, जनसंख्या, विगत उपयोग एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सातवीं योजना के अन्तर्गत इसकी सीमा बढ़ाकर रुपये 3 लाख कर दी गयी। यद्यपि राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों के द्वारा प्रत्येक वर्ष अंशदान का भुगतान नहीं किया जाता तथापि सम्बन्धित वर्ष में परियोजना का लाभ उठाने के लिए पिछले वर्ष की बकाया राशि का भुगतान बाद में कर दिया जाता है। अनेक वर्षों के लिए एक साथ पुस्तकों कि खरीद के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की पद्धतियों का उल्लेख प्रतिष्ठान के लेखा-प्रतिवेदन 1985-86 के पैराग्राफ 1.2 में किया गया था। वही स्थिति इस साल भी रही किन्तु लेखा में वर्तमान वर्ष और गत वर्ष में प्राप्त अंशदानों के उल्लेख में फर्क नहीं किया गया है।

तुलन-पत्र—

3.1. तुलन-पत्र के अनुसार (परिसम्पत्तिपक्ष) परिसम्पत्ति पंजिका में कर्मचारी बाहन की कीमत रुपये 1,16,886.61 बतायी गयी थी लेकिन वर्ष 1983-84 की सम्बन्धित पंजिका में कर्मचारी बाहन की कीमत रुपये 29,111.85 दर्शाया गया था। पंजिका में इसका अन्तिम उल्लेख वर्ष 1983-84 से सम्बन्धित है। इस तरह से

परिसम्पत्ति पंजिका अपूर्ण रही। इस त्रुटि को दूर करने की आवश्यकता है।

3.2. तुलन–पत्र (परिसम्पत्ति पक्ष) में जमीन (भू-खण्ड) की कीमत रुपये 80,768. 45 दर्शायी गयी थी लेकिन परिसम्पत्ति पंजिका में इसकी कीमत रुपये 72,240 दर्ज की गयी। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए।

3 3. तुलन-पत्र (परिसम्पत्ति पक्ष) में भवन का मूल्य रुपये 1,36,364.38 दर्शाया गया लेकिन परिसम्पत्ति पंजिका में इसे कहीं भी दर्ज नहीं किया गया।

3.4. तुलन-पत्र (परिसम्पत्ति पक्ष) के अनुसार 'बकाय अग्रिम' रुपये 36,97,850.60 थी जिसमें से रुपये 20,00,000.00 का समायोजन तीन वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया। जमा और अग्रिम की परिसंख्याएं तुलन-पत्र में नहीं दर्शायी गयीं। प्रतिष्ठान ने स्पष्ट किया (सितम्बर, 87) कि समस्त बकाया अग्रिम रुपये 26,97,616 अगस्त 1987 में समायोजित कर लिये गये।

3.5. तुलन-पत्र (परिसम्पत्ति पक्ष) में उल्लेख है कि सी० पी० एफ/लेखा खाते में लागत सहित नकद रुपये 2,43,305 00 बैंक में हैं किन्तु इसमें लागत राशि का विवरण नहीं है। प्रतिष्ठान ने उल्लेख किया (सितम्बर 1987) कि विशेष जमा में राज्य और केन्द्र सरकार को जमानत के रूप में, नेगोशिएबुल सेक्यूरिटी और सातवर्षीय बचत-पत्र में रुपये 1.60 लाख लगाये गये। इस विनियोजित राशि को तुलन-पत्र में दर्शाया जाना चाहिए तथा इसके द्वारा प्राप्त की गयी ब्याज की राशि को प्राप्त की गयी आय के रूप में 'आय-व्यय' के खाते में दर्शाया जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि प्राप्ति

और भुगतान, आय और व्यय का लेखा तथा जी० पी० फण्ड/ पी० पी० फण्ड से सम्बन्धित तुलन-पत्र अलग से तैयार किए जांय और उन्हें मुख्य लेखा से सम्बद्ध किया जाय।

3.6. प्रतिष्ठान ने प्रतिबद्ध देयता को वर्षानुसार दर्शाने के लिए अलग से कोई रेकार्ड्स नहीं रखा।

4. प्रशासनिक खर्च—गैर कार्यालयीय सदस्यों के यात्रा भत्तादि :

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिष्ठान के गैर कार्यालयीय सदस्यों को प्रशासनिक समिति, अनुदान समिति, पुस्तक चयन समिति तथा सामान्य निकाय की बैठकों में भाग लेने हेतु प्रदान किए गये यात्रा-भत्ता (दैनिक भत्ता सहित) का विवरण निम्नवत् है :

वर्ष	राशि (रुपये लाख में)
1982-83	0.47
1983-84	0.52
1984-85	0.55
1985-86	0.50
1986-87	1.09

गैर कार्यालयीय सदस्यों के यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता आदि कारणों से खर्च में वृद्धि की प्रवृत्ति का उल्लेख (सितम्बर, 1987) करते हुए प्रतिष्ठान ने बताया कि इसका कारण प्रतिष्ठान के विभिन्न सहायता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अनेक समितियों एवं उपसमितियों का गठन और

वायुयान भाड़े मे पर्याप्त वृद्धि एवं गैर-कार्यालयीय सदस्यों के दैनिक भत्तों में वृद्धि है। यह ज्ञातव्य है कि उन गैर कार्यालयीय सदस्यों को भी वायुयान भाड़ा दिया गया जो सरकारी आदेश के अनुसार इसके अधिकारी नहीं थे। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान द्वारा गैर-कार्यालयीय सदस्यों को विभिन्न समितियों/'उपसमितियों' की बैठक में भाग लेने के लिए होटल में ठहरने और भोजनादि पर खर्च करने के लिए किसी वेतन मान के अनुरूप खर्च की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया।

5.1. विभिन्न सहायता योजनाओं पर अंशदान की अपेक्षा प्रतिष्ठान की प्रतिबद्ध देयता जो वर्ष 1985-86 में 45.21 लाख थी, वर्ष 1986-87 में बढ़कर 91.86 लाख हो गयी। अंशदान प्राप्त तो हुए, किन्तु कतिपय कारणों-यथा, प्रस्ताव की अप्राप्ति, प्रतीक्षित बिल, समयोजनार्थ पड़े रहे बिल-आदि कारणों से वे खर्च नहीं हो पाये। इसके अतिरिक्त दूसरे राज्यों से प्राप्त अंशदान को अन्य राज्यों द्वारा अधिक व्यय करने पर स्थानान्तरण करना पड़ा, उसका समायोजन आगामी वर्ष प्राप्त उस राज्य के अंशदान में किया जायेगा। यह उल्लेनीय है कि आन्ध्र-प्रदेश, प० बंगाल और उड़ीसा में अतिरिक्त खर्च क्रमश: 1.56 लाख, रुपये 6.39 लाख और 2.07 लाख वर्ष 1985-86 में हुए (विवरण 1985-86 के लेखा प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4 में दिया गया है।) किन्तु इनका समायोजन वर्ष 1986-87 में किया गया। प्रतिष्ठान ने राजस्थान के लिये रुपये 3.53 लाख. उड़ीसा के लिये 5.52 लाख और मणिपुर के लिये रु० 1 हजार का अतिरिक्त व्यय किया, किन्तु इसका समायोजन वर्ष 1986-87 के अन्त तक होना शेष रहा।

5.2. 91.58 लाख रुपये की सम्पूर्ण प्रतिबद्ध देयताओं मे से निम्नलिखित राज्यों से सम्बन्धित देयता रुपये 4 लाख से अधिक थी :

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के नाम	राशि (रुपये लाख में)
1. आन्ध्र प्रदेश	18.34
2. उत्तर-प्रदेश	11.86
3. तमिलनाडु	10.83
4. महाराष्ट्र	10.25
5, पश्चिम बंगाल	8.67
6. कर्नाटक	7.96
7. केरल	6.94
8. हिमांचल प्रदेश	6.31
9. गुजरात	4.78
10. बिहार	4.21

6. **वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पुस्तकालयों द्वारा लेखा प्रस्तुत नहीं किया जाना ।**

6.1. प्रतिष्ठान ने वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न पुस्तकालयों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता (नकद अनुदान के रुप में दिया गया) प्रदान की ।

(क) पुराने तथा सुव्यवस्थित पुस्तकालयों को प्रक्रिया (सूचीकरण तथा वर्गीकरण) अप्राप्य पुस्तकों और दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों की जिल्दबाजी एवं परिरक्षण के लिए सहायता : (रुपये 0.17 लाख)

(ख) पुस्तकालयों को संगोष्ठियाँ, कार्य-शालाएँ, प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता : (रुपये 0.65 लाख)

(ग) पुस्तकालयों को पुस्तक संचय हेतु सहायता : (रुपये 1.13 लाख)

(घ) ग्रामीण पुस्तक-संचयन केंद्रों के विकास हेतु सहायता : (रुपये 3.45 लाख)

(च) सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता : (रुपये 0.55 लाख)

6.2. वित्तीय अनुदान प्राप्त करने वाले पुस्तकालयों एवं संगठनों से यह मांग की गयी की वे प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त अनुदान में से किये गये खर्च की पुष्टि हेतु उस खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा उसका लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र उस वित्तीय-वर्ष की समाप्ति तक प्रतिष्ठान के पास भेजें, जिस वित्तीय वर्ष में उन्हें प्रतिष्ठान द्वारा वह अनुदान प्रदान किया। प्रतिष्ठान ने वर्ष 1985-86 तक रुपये 17.83 लाख का, तथा वर्ष 1986-87 के दौरान रुपये 35.92 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान प्रदान किया। वर्ष 1986-87 के दौरान किये गये कुल अनुदान रुपये 53.75 लाख (रुपये 17.83 + लाख 35.92 लाख) में से 1132 संगठनों/पुस्तकालयों द्वारा रुपये 46.10 लाख रुपये के व्यय के समर्थन में उपयोगिता-प्रमाण-पत्र तथा लेखा-परीक्षित विवरण वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुए। जिनका विस्तृत विवरण नीचे की सारिणी में दर्शाया गया है। 1972-73 से

लेकर 1986-87 वर्ष तक के दौरान उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने वाले पुस्तकालय निम्नलिखित सारिणी में दर्शाये गये हैं :

योजना का नाम	31 मार्च 1987 तक दी गयी राशि (रुपयों की संख्या लाख में)	योजना के अन्तर्गत लाये गये पुस्तकालयों की संख्या	राशि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया	सम्मिलित पुस्तकालयों की संख्या
जिल्दबन्दी तथा परिरक्षण के	7.51	461	3.32	295
कार्यशाला संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी	3.72	56	2.16	33
पुस्तक-संचयन हेतु	8.56	989	6.66	676
स्वैच्छिक संगठन	30.55	128	30.55	128
ग्रामीण पुस्तक संचयन हेतु	3.41	उल्लिखित नहीं	3.41	उल्लिखित नहीं
	53.75	1634	46.10	11.32

प्रतिष्ठान को आकड़ों का वर्गीकरण वर्षानुसार रखना चाहिए।

7. **पुस्तकालयों का निरीक्षण ;**

7.1. प्रतिष्ठान के वार्षिक-प्रतिवेदन 1985-86 के पैराग्राफ 7 में प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान-प्राप्त पुस्तकालयों के निरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया था। प्रतिष्ठान के वार्षिक-प्रतिवेदन 1985-86 में इस बात का उल्लेख किया गया कि 1972-73 से

लेकर 1985-86 वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरीय 18,347 पुस्तकालयों का निरीक्षण किया जिन्हें पिछले 14 वर्षों के दौरान 472.64 लाख रुपयों की सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 1986-87 के दौरान प्रतिष्ठान में 4387 पुस्तकालयों को अपनी योजना के अन्तर्गत लाया तथा उन्हें 133.35 लाख रुपये की सहायता प्रदान की। पूर्व से लेकर 1977-78 तक के समय का वर्षानुसार वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1977-78 अवधि से प्रतिष्ठान द्वारा निरीक्षित पुस्तकालयों का विवरण निम्नवत हैं:

वर्ष	प्रतिष्ठान की सहायता योजना के अन्तर्गत लाये गये पुस्तकालयों की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि (रुपये लाख में)	वर्ष के दौरान निरीक्षित पुस्तकालयों की वास्तविक संख्या
1977-78	3090	31.43	उपलब्ध नहीं
1978-79	6113	37.97	,,
1979-80	5747	31.98	10
1880-81	4998	37.12	09
1981-82	6676	32.98	10
1982-83	1957	49.12	18
1983-84	3369	39.70	26
1984-85	2961	51.28	20
1985-86	2224	55.54	12
1986-87	4387	133.35	

7.2. सारिणी से यह प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान ने 1977-78 से लेकर 1986-87 वर्ष के दौरान 0.09 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत तक लाभग्राही पुस्तकालयों का निरीक्षण किया। यद्यपि वित्तीय अनुदान प्रतिवर्ष दिया गया।

7.3. प्रतिष्ठान के उपविधि अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में पुस्तकालयों के निरीक्षण सम्बन्धी किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया। इस तरह के निरीक्षण कार्य संचालन के लिए कोई मापदण्ड नहीं निर्धारित किया गया और न ही इस निरीक्षण रिपोर्ट को तैयार करने हेतु कोई मानक प्रारूप ही बनाया गया। किन आधारों पर निरीक्षणकर्त्ता इस बात से संतुष्ट है कि प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान किए गये अनुदान का उपयोग लाभग्राही पुस्तकालय ने समुचित ढंग से किया है—अपने निरीक्षण रिपोर्ट में यह तथ्य दर्शाने के बजाय निरीक्षण करने वाले अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अपने ठहरने आदि के संदर्भ में ही अधिक विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के निरीक्षण पर कम ध्यान दिया गया। जैसा कि इसके पूर्व के वार्षिक प्रतिवेदन में इस प्रकार के निरीक्षण पर बल दिया गया था लेकिन उसके परिपेक्ष्य में निरीक्षण की स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ।

स्थान : कलकत्ता
तिथि : 03.11.87

लेखा निदेशक
केन्द्रीय, कलकत्ता

वर्ष 1986-87 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रतिष्ठान का मन्तव्य

परिच्छेद 2.1

प्रतिष्ठान ने अपने कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर रुपये 0.97 लाख 'अन्त शेष' के रूप में दर्शाया। तथापि लेखा-परीक्षा की संतुष्टि हेतु अलग रिकार्ड रखने का कदम उठाया जा रहा है।

परिच्छेद 2.2

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंशदान की दर में वृद्धि संस्कृति विभाग, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 27-22/85-पुस्त० दिनांक 9.8.85 के अनुसार की गयी।

परिच्छेद 3.1 से लेकर 3.3 तक

इसका समाधान हो चुका है और इसकी सूचना प्रतिष्ठान के पत्र क्रमांक एफ 17-9/ए.एण्ड एस./86-87 दिनांक 19 9.87 के द्वारा आडिट को दी जा चुकी है।

परिच्छेद 3.4

कोई मन्तव्य नहीं।

परिच्छेद 3.5

आर्थिक विनियोग का विवरण 31.3.88 के तुलन-पत्र में दर्शाया जायगा।

परिच्छेद 3.6

कोई मन्तव्य नहीं। तथापि सम्पूर्ण बकाया देयता का रेकार्ड तैयार किया गया एवं लेखा में दर्शाया गया।

परिच्छेद 4.

सदस्यों को वायुयान भाड़ा अध्यक्ष की संस्तुति से प्रतिष्ठान के नियमानुसार प्रदान किया गया जिसका प्रतिष्ठान द्वारा पुष्टिकरण होना बाकी था। (पुष्टिकरण किया गया)

परिच्छेद 5.1,5.2 एवं 6.1

कोई मन्तव्य नहीं।

परिच्छेद 6.2

व्यतिक्रमी पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से सम्बन्धित कदम उठाये जा रहे हैं।

परिच्छेद 7.1

कोई मन्तव्य नहीं।

परिच्छेद 7.2 एवं 7.3

पुस्तकालयों के निरीक्षण हेतु जून 1987 में चार सहायक क्षेत्रीय-अधिकारियों की नियुक्ति की गयी। निरीक्षण कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें निर्देशिका निर्गत की गयी। इसके साथ ही निरीक्षण-प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक निर्धारित प्रारूप प्रचलन में लाया गया। अगले वित्तीय वर्ष से स्थिति में सुधार अवश्य होगा।

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के लेखा एवं तुलन-पत्र की जांच की है। मुझे सभी प्रकार की सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, जो मेरे मन्तव्य के साथ लेखा-रिपोर्ट में संलग्न है, दी गयी। मेरे विचार में ये लेखा एवं तुलन-पत्र प्रतिष्ठान के सम्पूर्ण क्रिया-कलापों को प्रदर्शित करने के लिए सही ढंग से दिखाये गये हैं। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता द्वारा प्रदर्शित कागजात और दी गयी उत्कृष्ट सूचनाओं और स्पष्टीकरण के आधार पर मैं इन्हें प्रमाणित करता हूं।

स्थान-कलकत्ता
दिनांक-03.11.87

ह० अस्पष्ट
निदेशक, लेखा-परीक्षा
केन्द्रीय, कलकत्ता

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वष 1986-87 के दौरान विभिन्न स्तरों पर दी गयी पुस्तकालय सहायता का विवरण

राज्यों का नाम	राज्य-केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	उपमण्डलीय एवं ताल्लुक पुस्तकालय	शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	पुस्तक संचयन केन्द्र	नेहरू युवक केन्द्र	जवाहर बाल भवन	स्वैच्छिक संगठन	कुल योग
आन्ध्र प्रदेश	1	27	x	x	x	14	x	7	49
असम	1	10	15	100	—	—	1	1	128
बिहार	1	31	x	x	—	—	—	2	34 + x
गुजरात	1	18	—	80	—	x	x	8	107
हिमाचल प्रदेश	1	11	—	151	—	7	—	1	171
जम्मू एवं कश्मीर	1	14	—	—	—	—	—	1	16
कर्नाटक	1	19	175	—	—	—	2	4	201
केरल	1	11	—	512	—	—	3	24	551
मध्यप्रदेश	1	29	—	2000	—	—	—	1	2031
महाराष्ट्र	x	39	—	—	—	—	3	15	57
मणिपुर	1	5	—	—	—	—	—	1	7

हरियाना	1	5	—	—	—	7	2	2	17
मेघालय	1	2	—	—	—	—	—	—	3
नागालैंड	1	x	—	81	—	—	—	2	84
उड़ीसा	1	13	—	350	—	—	1	22	387
पंजाब	1	12	—	—	—	12	—	1	26
राजस्थान	1	29	—	19	—	—	—	—	49
सिक्किम	—	4	—	—	—	—	—	—	4
तमिलनाडु	—	13	—	100	—	—	3	2	118
त्रिपुरा	1	3	—	20	—	—	—	—	24
उत्तर प्रदेश	1	54	—	46	—	—	2	8	111
पश्चिम बंगाल	1	22	—	x	—	—	1	15	39 + x
अण्डमान निकोबर	1	—	—	3	—	—	—	—	4
अरूणांचल प्रदेश	1	9	—	30	—	—	—	—	40
चण्डीगढ़	1	x	—	1	1	—	—	3	6
दादरा एवं नगर हवेली	1	1	—	—	—	—	—	—	2
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	1	8	9
गोवा, दमन एवं द्वीव	1	—	—	64	—	—	—	—	65
लक्षद्वीप	1	—	—	—	—	—	—	—	1
मिजोरम	1	2	—	40	—	—	—	—	43
पाण्डिचेरी	1	2	—	—	—	—	—	—	3
कुल योग	27	385	190	3597	1	40	19	128	4387 + x

× पुस्तकालय की संख्या प्राप्त नहीं हुए।

वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न स्तरों पर दी गयी पुस्तकालय सहायता का विवरण

राज्यों का नाम	राज्य-केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	उपमण्डलीय एवं ताल्लुक पुस्तकालय	शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालय	पुस्तक संचयन केन्द्र	नेहरू युवक केन्द्र	जवाहर बाल भवन	अन्य	कुल योग
आन्ध्र प्रदेश	1	27	—	852	620	14	1	—	1515
असम	1	10	11	116	—	4	3	—	145
बिहार xx	1	31	24	1624	—	13	1	—	1694
गुजरात	1	18	—	1881	11	5	1	—	1917
हिमाचल प्रदेश	1	11	—	143	—	8	1	5	169
जम्मू एवं कश्मीर	1	14	5	2	—	1	1	—	24
कर्नाटक	1	19	175	1924	—	8	7	—	2134
केरल x	1	11	—	1072	—	8	4	—	1096
मध्यप्रदेश	1	29	20	2005	—	11	2	—	2068
महाराष्ट्र	1	39	195	1589	1	2	7	—	1834
मणिपुर	1	5	—	87	—	2	—	—	95

हरियाना	1	5	—	44	—	2	6	—	58
मेघालय	1	2	—	—	—	1	—	—	4
नागालैंड	1	—	—	81	—	—	—	—	82
उड़ीसा	1	13	7	1236	130	10	2	116	1515
पंजाब	1	12	—	—	—	12	—	—	25
राजस्थान	1	29	9	38	—	12	—	—	89
सिक्किम	—	4	1	—	—	1	—	—	6
तमिलनाडु xx	—	13	—	1455	—	10	3	—	1481
त्रिपुरा xxx	1	3	10	18	10	2	—	—	44
उत्तर प्रदेश	1	56	—	589	—	28	2	—	676
पश्चिम बंगाल xx	1	22	—	2295	1	8	6	—	2439
अण्डमान निकोबर xxx	1	—	—	25	—	1	—	—	27
अरूणांचल प्रदेश	1	10	2	27	—	2	—	—	42
चण्डीगढ़	1	—	—	1	1	1	1	—	5
दादरा एवं नगर हवेली	1	1	—	—	—	1	—	—	3
दिल्ली	—	—	—	1	—	2	—	—	3
गोवा, दमन एवं द्वीव	1	—	4	95	—	1	—	3	104
लक्षद्वीप	1	—	—	10	—	—	—	—	11
मिजोरम	1	2	—	70	—	1	—	—	74
पाण्डिचेरी	1	2	—	51	—	2	1	—	57
कुल योग	28	388	463	17331	880	173	49	124	19436

x अंको का सम्बन्ध वर्ष 1985-86 तक है।

xx अंको का सम्बन्ध वर्ष 1981-82 तक है।

xxx अंको का सम्बन्ध वर्ष 1983-84 तक है।

वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गयी राशियों का अनुपात

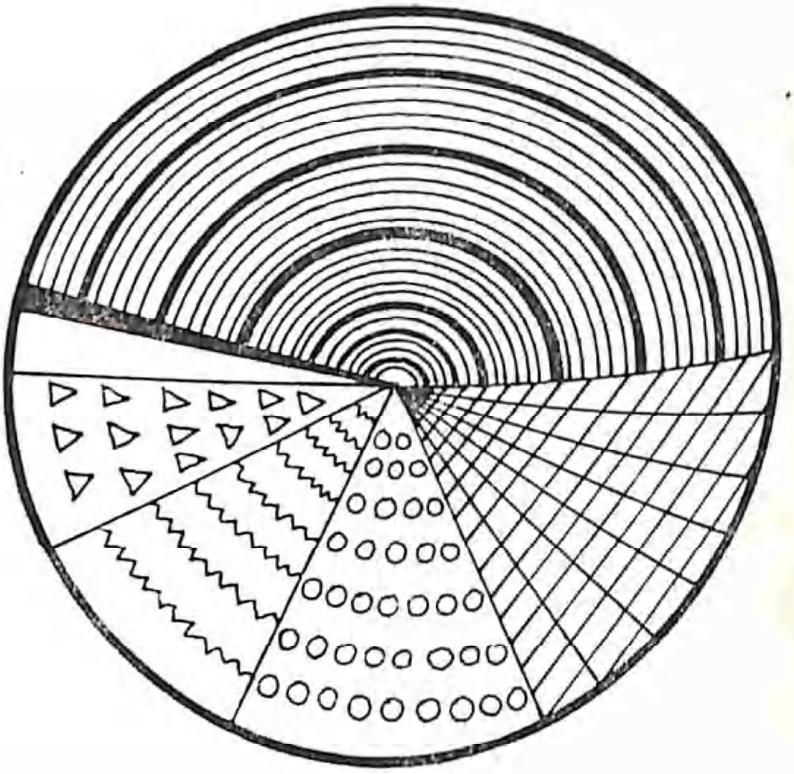

अन्य प्रोन्नति क्रियाएं	(0.68%)
समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत पुस्तक सहायता	(45.81%)
गैर समतुल्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान	(18.51%)
पूंजीगत व्यय	(10.68%)
गैर समतुल्य योजना के अन्तर्गत पुस्तक सहायता	(13.21%)
प्रशासन	(7.86%)
समतुल्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान	(3.25%)